



# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

## हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

बुधवार, 23 अक्तूबर, 2024 / 01 कार्तिक, 1946

हिमाचल प्रदेश सरकार

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT  
(SECTION-A)

NOTIFICATION

*Shimla-2, the 18th October, 2024*

**No. GAD-A(F)10-7/2023.**—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order that the holidays as listed in Annexure-I, will be observed as “**Gazetted Holiday**” during the **Calendar**

156—राजपत्र / 2024-23-10-2024

(7187)

**Year 2025**, in the State of Himachal Pradesh.

2. In addition to the holidays mentioned in **Annexure-1**, all Government employees will be authorized to avail two 'Restricted Holidays' out of those mentioned in **Annexure-III**.

3. Holidays listed in **Annexure-II** are declared 'Gazetted Holidays' for women employees working in all Government Offices/ Boards/ Corporations/ Educational Institutions in H.P. These will also be holidays for women employees within the meaning of Section 25 of Negotiable Instruments Act, 1881 and also to daily wage women employees.

4. (i) The Deputy Commissioners in the State are authorized to declare two local holidays within their jurisdiction during the Year 2025 in connection with celebration of important fairs and festivals in the respective District/ Area.

(ii) However, for the offices situated within the Municipal limits of Shimla, two local holidays will be declared by the State Government after receiving proposal in this regard from the Deputy Commissioner, Shimla and for the rest of the areas of District Shimla, two local holidays will be declared/decided by the Deputy Commissioner, Shimla as per past practice. For the Offices of H.P. Government situated at Delhi, two local holidays will be declared by the State Government after receiving proposal from Pr. Resident Commissioner, H.P., New Delhi.

5. The holidays listed in Annexure-IV are also declared as 'Gazetted Holidays' within the meaning of Section 25 of Negotiable Instruments Act, 1881.

By order,

Sd/-  
Pr. Secretary (GAD)

ANNEXURE-I

### Gazetted Holidays for the Year-2025

Sl.No.	Holiday	Date	Saka Date	Day of week
<b>1946 Saka Era</b>				
1.	Statehood Day	25 <sup>th</sup> January, 2025	Magha 05	Saturday
2.	Republic Day	26 <sup>th</sup> January, 2025	Magha 06	Sunday
3.	Guru Ravidas's Birthday	12 <sup>th</sup> February, 2025	Magha 23	Wednesday
4.	Maha Shivratri	26 <sup>th</sup> February, 2025	Phalguna 07	Wednesday
5.	Holi	14 <sup>th</sup> March, 2025	Phalguna 23	Friday
<b>1947 Saka Era</b>				
6.	Id-ul-Fitr	31 <sup>st</sup> March, 2025	Chaitra 10	Monday
7.	Ram Navmi	06 <sup>th</sup> April, 2025	Chaitra 16	Sunday
8.	Dr. B. R. Ambedkar's Birthday	14 <sup>th</sup> April, 2025	Chaitra 24	Monday
9.	Himachal Day	15 <sup>th</sup> April, 2025	Chaitra 25	Tuesday
10.	Good Friday	18 <sup>th</sup> April, 2025	Chaitra 28	Friday

11.	Bhagvan Shree Parshuram Jayanti	29 <sup>th</sup> April, 2025	Vaisakha 8	Tuesday
12.	Budha Purnima	12 <sup>th</sup> May, 2025	Vaisakha 22	Monday
13.	Maharana Pratap Jayanti	29 <sup>th</sup> May, 2025	Jyaishtha 8	Thursday
14.	Id-ul-Zuha (Bakrid)	7 <sup>th</sup> June, 2025	Jyaishtha 17	Saturday
15.	Sant Guru Kabir Jayanti (Prakat Diwas)	11 <sup>th</sup> June, 2025	Jyaishtha 21	Wednesday
16.	Muharram	06 <sup>th</sup> July, 2025	Ashadha 15	Sunday
17.	Independence Day	15 <sup>th</sup> August, 2025	Sravana 24	Friday
18.	Janmashtami	16 <sup>th</sup> August, 2025	Sravana 25	Saturday
19.	Mahatma Gandhi's Birthday	02 <sup>nd</sup> October, 2025	Asvina 10	Thursday
20.	Dussehra	02 <sup>nd</sup> October, 2025	Asvina 10	Thursday
21.	Maharishi Valmiki's Birthday	07 <sup>th</sup> October, 2025	Asvina 15	Tuesday
22.	Diwali (Deepavali)	20 <sup>th</sup> October, 2025	Asvina 28	Monday
23.	Guru Nanak's Birthday	05 <sup>th</sup> November, 2025	Kartika 14	Wednesday
24.	Christmas Day	25 <sup>th</sup> December, 2025	Pausha 04	Thursday

ANNEXURE-II

Gazetted Holidays for the Year-2025 for women employees working in all Government Offices/Boards/Corporations/Educational Institutions in H.P. These will also be holidays for women employees under Section 25 of Negotiable Instruments Act, 1881 and also to daily waged women employees.

Sl. No.	Holiday	Date	Saka Date	Day of week
<b>1947 Saka Era</b>				
1.	Raksha Bandhan	09 <sup>th</sup> August, 2025	Sravana 18	Saturday
2.	Karva Chauth	10 <sup>th</sup> October, 2025	Asvina 18	Friday
3.	Bhai Duj	23 <sup>rd</sup> October, 2025	Kartika 01	Thursday

ANNEXURE-III

**Restricted Holidays for the Year-2025**

Sl.No.	Holiday	Date	Saka Date	Day of week
<b>1946 Saka Era</b>				
1.	New Year's Day	1 <sup>st</sup> January, 2025	Pausha 11	Wednesday
2.	Makar Sankranti	14 <sup>th</sup> January, 2025	Pausha 24	Tuesday
3.	Basant Panchami/Sri Panchami	02 <sup>nd</sup> February, 2025	Magha 13	Sunday
4.	Birthday of Swami	23 <sup>rd</sup> February, 2025	Phalguna 04	Sunday

Dayananda Saraswati				
1947 Saka Era				
5.	Vaisakhi/Vishu	13 <sup>th</sup> April, 2025	Chaitra 23	Sunday
6.	Easter Sunday	20 <sup>th</sup> April, 2025	Chaitra 30	Sunday
7.	Guru Rabindranath's Birthday	09 <sup>th</sup> May, 2025	Vaisakha 19	Friday
8.	Ganesh Chaturthi/ Vinayaka Chaturthi	27 <sup>th</sup> August, 2025	Bhadra 05	Wednesday
9.	Dussehra (Mahashtami)	30 <sup>th</sup> September, 2025	Asvina 08	Tuesday
10.	Govardhan Puja	22 <sup>nd</sup> October, 2025	Asvina 30	Wednesday
11.	Guru Teg Bahadur's Martyrdom Day	24 <sup>th</sup> November, 2025	Agrahayana 03	Monday
12.	Christmas Eve	24 <sup>th</sup> December, 2025	Pausha 03	Wednesday

ANNEXURE-IV

**Gazetted Holidays for the Year-2025 under Negotiable Instruments Act, 1881**

Sl.No.	Holiday	Date	Saka Date	Day of week
1946 Saka Era				
1.	Republic Day	26 <sup>th</sup> January, 2025	Magha 06	Sunday
2.	Guru Ravi Das's Birthday	12 <sup>th</sup> February, 2025	Magha 23	Wednesday
3.	Maha Shivratri	26 <sup>th</sup> February, 2025	Phalgun 07	Wednesday
4.	Holi	14 <sup>th</sup> March, 2025	Phalgun 23	Friday
1947 Saka Era				
5.	Himachal Day	15 <sup>th</sup> April, 2025	Chaitra 25	Tuesday
6.	Bhagvan Sh. Parshuram Jayanti	29 <sup>th</sup> April, 2025	Vaisakha 8	Tuesday
7.	Bhudh Purnima	12 <sup>th</sup> May, 2025	Vaisakha 22	Monday
8.	Maharana Pratap Jayanti	29 <sup>th</sup> May, 2025	Jyaishtha 8	Thursday
9.	Id-ul-Zuha (Bakrid)	7 <sup>th</sup> June, 2025	Jyaishtha 17	Saturday
10.	Sant Guru Kabir Jayanti	11 <sup>th</sup> June, 2025	Jyaishtha 21	Wednesday
11.	Independence Day	15 <sup>th</sup> August, 2025	Sravana 24	Friday
12.	Mahatma Gandhi's Birthday	2 <sup>nd</sup> October, 2025	Asvina 10	Thursday
13.	Maharishi Valmiki's Birthday	07 <sup>th</sup> October, 2025	Asvina 15	Tuesday
14.	Diwali (Deepavali)	20 <sup>th</sup> October, 2025	Asvina 28	Monday
15.	Guru Nanak's Birthday	05 <sup>th</sup> November, 2025	Kartika 14	Wednesday
16.	Christmas Day	25 <sup>th</sup> December, 2025	Pausha 04	Thursday

## प्रारम्भिक शिक्षा विभाग

## अधिसूचना

शिमला-2, 10 अक्टूबर, 2024

**संख्या ईडीएन-सी-ए(3)-2/2024.**—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में विशेष शिक्षक (कक्षा-VI से कक्षा-XII के लिए), ग्रुप-सी (अराजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-“क” के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश उच्चतर शिक्षा विभाग, विशेष शिक्षक (कक्षा-VI से कक्षा-XII के लिए), ग्रुप-सी (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2024 है।

(2) ये नियम राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

आदेश द्वारा,

राकेश कंवर,  
सचिव (शिक्षा)।

उपाबन्ध-‘क’

हिमाचल प्रदेश प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में विशेष शिक्षक (पूर्व प्राथमिक से कक्षा-V के लिए), ग्रुप-सी (अराजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम

1.	पद का नाम:	विशेष शिक्षक (कक्षा-VI से कक्षा-XII के लिए)
2.	पद (पदों) की संख्या:	107 (एक सौ सात)
3.	वर्गीकरण:	ग्रुप-सी
4.	वेतनमान:	(i) नियमित पदधारी (पदधारियों) के लिए वेतनमान: “हिमाचल प्रदेश सिविल सेवाएं (संशोधित वेतन) नियम, 2022 के अनुसार पद के समयमान से संलग्न पे-मैट्रिक्स का स्तर 10” ।  (ii) संविदा पद पर नियुक्त कर्मचारी (कर्मचारियों) के लिए उपलब्धियां:  हिमाचल प्रदेश सिविल सेवाएं (संशोधित वेतन) नियम, 2022 के अनुसार तत्स्थानी संवर्ग के पे-मैट्रिक्स के लागू स्तर के प्रथम कोष्ठ का साठ प्रतिशत।
5.	“चयन” पद अथवा “अचयन” पद।	अचयन
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु:	18 से 45 वर्ष: परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित, पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू

		<p>नहीं होगी:</p> <p>परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा पर की गई नियुक्ति के कारण विहित आयु में शिथिलीकरण का पात्र नहीं होगा:</p> <p>परन्तु यह और कि ऊपरी आयु सीमा में, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गों के लिए, उस विस्तार तक शिथिलीकरण किया जाएगा जितना कि हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय है:</p> <p>परन्तु यह और भी कि समस्त पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा में ऐसी रियायत अनुज्ञात की जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है। ऐसी रियायत, तथापि पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को अनुज्ञेय नहीं होगी जो तत्पश्चात् ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थे।</p> <p><b>टिप्पण.</b>—सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें पद (पदों) को, आवेदन आमन्त्रित करने के लिए यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।</p>
7.	शैक्षिक अर्हताएं:	<p>(क) शैक्षिक अर्हताएं:—</p> <p>(1) विशेष शिक्षक (कक्षा—VI से कक्षा—XII के लिए):—</p> <p>(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम पचास प्रतिशत अंकों सहित किसी भी विषय में स्नातक हो।</p> <p>(ii) भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा अनुमोदित संस्थान से विशेष शिक्षा स्नातक (बी0एड0) और एक विधिमान्य भारतीय पुनर्वास परिषद तथा केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर संख्या हो।</p> <p>या</p> <p>भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा अनुमोदित संस्थान से मान्यता प्राप्त अर्हता (प्रमाणपत्र/डिप्लोमा) सहित शिक्षा स्नातक (बी0एड0) और एक विधिमान्य भारतीय पुनर्वास परिषद तथा केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर संख्या हो।</p> <p>(iii) समावेशी शिक्षा में क्रॉस डिसेबिलिटी क्षेत्र में अध्यापन छह</p>

		<p>मास का प्रशिक्षण (**)।</p> <p>और</p> <p>(iv) हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला, जिला कांगडा या सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अभिकरण द्वारा सम्यक रूप से संचालित शिक्षक पात्रता परीक्षा (टी0ई0टी0) में उत्तीर्ण हो।</p> <p>(**) यदि भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा विकसित किए जा रहे प्रस्तावित कार्यक्रम (क्रॉस डिसेबिलिटी/टॉप अप पाठ्यक्रम) सेवारत प्रशिक्षण के दौरान उपलब्ध नहीं हो तो उन्हें इस शर्त के साथ अर्हता से हटाया जा सकेगा कि प्रारम्भिक शिक्षा पाठ्यक्रम में डिप्लोमा (प्रा0शि0डि0)/शिक्षा स्नातक (बी0एड0) विशेष शिक्षा सहित भर्ती अभ्यर्थियों को उपरोक्त प्रशिक्षण अवश्य प्राप्त करना होगा जितना शीघ्र उससे संचालित किया जाता है।</p> <p><b>टिप्पण.</b>—अभ्यर्थी ने दसवीं और दस जमा दो की परीक्षा हिमाचल प्रदेश में अवस्थित किसी स्कूल/संस्थान से उत्तीर्ण की हो:</p> <p>परन्तु यह शर्त हिमाचल प्रदेश के वास्तविक निवासियों को लागू नहीं होगी।</p> <p>(ख) वांछनीय अर्हता (अर्हताएं):</p> <p>हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।</p>
8.	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति(व्यक्तियों) के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्ति(व्यक्तियों) की दशा में लागू होंगी या नहीं:	<p>आयु : लागू नहीं</p> <p>शैक्षिक अर्हता (अर्हताएं) : लागू नहीं</p>
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो:	<p>1. सीधी भर्ती :</p> <p>(क) दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसे सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और कारणों को लिखित में अभिलिखित करके आदेश दें।</p> <p>(ख) संविदा के आधार पर नियुक्ति की दशा में कोई परिवीक्षा लागू नहीं होगी।</p> <p>2. प्रोन्नति: लागू नहीं</p>
10.	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति/सैकेण्डमैण्ट/स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों	<p>स्थास्थिति, 100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर।</p>

	द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतता:	
11.	प्रोन्नति, सैकेण्डमैण्ट/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति /सैकेण्डमैण्ट/स्थानान्तरण किया जाएगा:	लागू नहीं
12.	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति / विभागीय स्थायीकरण समिति विद्यमान हो, तो उसकी संरचना:	(i) विभागीय प्रोन्नति समिति: लागू नहीं । (ii) विभागीय स्थायीकरण समिति: जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाएगी।
13.	भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा:	जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो
14.	सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा:	किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।
15.	सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन:	सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन लिखित परीक्षा के गुणागुण और/या व्यावहारिक परीक्षा या दक्षता परीक्षण या शारीरिक परीक्षण के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग/अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।
15-क	संविदा नियुक्ति, द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन:	इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्तियों नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अधीन की जाएंगी :-  (I) संकल्पना:  (क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में विशेष शिक्षक (कक्षा-VI से कक्षा-XII के लिए), गुप-सी (अराजपत्रित) को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर आगे बढ़ाया जा सकेगा:  परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण उस वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।



		<p>(ख) पद का हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग/अन्य भर्ती अभिकरण के कार्यक्षेत्र में आना:</p> <p>निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, हिमाचल प्रदेश रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अध्यक्ष को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग/अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण, के समक्ष रखेगा।</p> <p>(ग) पद के चयन हेतु अभ्यर्थी को भर्ती और प्रोन्नति में यथाविहित अर्हता और पात्रता को पूरा करना होगा।</p> <p>(II) संविदात्मक उपलब्धियां :</p> <p>संविदा के आधार पर नियुक्त विशेष शिक्षक (कक्षा-VI से कक्षा-XII के लिए), को ₹ 22,860/- की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम ( जो तत्स्थानी संवर्ग के पे मैट्रिक्स के लागू स्तर के प्रथम कोष्ठ का 60 प्रतिशत होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी।</p> <p>(III) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी:</p> <p>निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, हिमाचल प्रदेश, नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।</p> <p>(IV) चयन प्रक्रिया:</p> <p>(क) पद का हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के कार्यक्षेत्र में आने हेतु:-</p> <p>संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन लिखित परीक्षा के गुणागुण और/या व्यावहारिक परीक्षण या दक्षता परीक्षण या शारीरिक परीक्षण के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग/अन्य भर्ती अभिकरण /प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।</p> <p>(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति:</p> <p>(क) पद का हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग/अन्य भर्ती अभिकरण के कार्य क्षेत्र में आना:-</p> <p>जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।</p> <p>(VI) करार:</p> <p>अभ्यर्थी को चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध-ख के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।</p> <p>(VII) निबन्धन और शर्तें:</p>
--	--	---

		<p>(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को ₹ 22,860/- की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो तत्स्थानी संवर्ग के पे मैट्रिक्स के लागू स्तर के प्रथम कोष्ठ का 60 प्रतिशत होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी ।</p> <p>(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी । यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी । यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी पर्यवसान (समापन) आदेश से संतुष्ट नहीं है तो वह उस तारीख, जिसको पर्यवसान (समापन) आदेश की प्रति उसे परिदत्त की गई है, से पैंतालीस दिन के भीतर अपील प्राधिकारी, जो नियुक्ति प्राधिकारी से उच्चतर पंक्ति का होगा, को अपील कर सकेगा ।</p> <p>(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक कलैण्डर वर्ष में, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश का हकदार होगा/ होगी । संविदा पर नियुक्त महिला को दो जीवित बच्चों तक एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा । संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारी पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी । संविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी अन्य प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा :</p> <p>अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा ।</p> <p>(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्य (ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्त्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, किन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रक प्राधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा:</p>
--	--	--

		<p>परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार, चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी/आरोग्य प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करना होगा।</p> <p>(ड) संविदा के आधार पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।</p> <p>(च) चयनित अभ्यर्थी को, राजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में, चिकित्सा बोर्ड द्वारा और अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी, अपना आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। उन महिला अभ्यर्थियों की दशा में, जिन्हें परिसंकटमय स्वरूप के कर्तव्यों को कार्यान्वित करने वाले पदों के विरुद्ध नियुक्त किया जाना है और यदि उन्हें प्रशिक्षण की अवधि को सेवा-शर्त के रूप में पूर्ण करना है तो ऐसी महिला अभ्यर्थी, जो परीक्षण के परिणामस्वरूप बारह सप्ताह या इससे अधिक समय से गर्भवती पाई जाती है, को अस्थायी रूप से अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा और उसकी नियुक्ति को तब तक आस्थगित रखा जाएगा जब तक कि प्रस्वावस्था समाप्त नहीं हो जाती है। ऐसी महिला अभ्यर्थी का प्रस्वावस्था की तारीख से छह सप्ताह के पश्चात् चिकित्सा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा, और यदि वह उपरोक्त यथा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से चिकित्सा आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर उपयुक्त पाई जाती है तो वह उसके लिए आरक्षित रखे गए पद पर नियुक्त की जा सकेगी।</p> <p>(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी कि नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।</p> <p>(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों जैसे एफ0 आर0-एस0 आर0, छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेंशन नियम तथा आचरण नियम आदि के उपबन्ध संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा स्कीम के साथ-साथ ई.पी.एफ./जी.पी.एफ. भी लागू नहीं होगा।</p>
16.	आरक्षण:	सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।
17.	विभागीय परीक्षा :	लागू नहीं
18.	शिथिल करने की शक्ति:	जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके

	और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी/किन्हीं उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी।
--	--

## उपाबन्ध—“ख”

**विशेष शिक्षक (कक्षा—VI से कक्षा—XII के लिए) और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, हिमाचल प्रदेश के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप**

यह करार श्री/श्रीमती ..... पुत्र/पुत्री श्री ..... निवासी ..... संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रथम पक्षकार कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के मध्य निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, हिमाचल प्रदेश (नियुक्ति प्राधिकारी का पदनाम) (जिसे इसमें इसके पश्चात् द्वितीय पक्षकार कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख ..... को किया गया। द्वितीय पक्षकार ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने ..... के रूप में संविदा आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है:—

1. यह कि प्रथम पक्षकार ..... के रूप में ..... से प्रारम्भ होने और ..... को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस अर्थात् ..... को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा:

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण उस वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम ₹ 22,860/— प्रतिमास होगी (जो तत्स्थानी संवर्ग के पे-मैट्रिक्स के लागू स्तर के प्रथम कोष्ठ का 60 प्रतिशत होगी)।
3. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी पर्यवसान (समापन) आदेश से सन्तुष्ट नहीं है तो वह उस तारीख, जिसको पर्यवसान (समापन) आदेश की प्रति उसे परिदत्त की गई है, से पैंतालीस दिन के भीतर अपील प्राधिकारी, जो नियुक्ति प्राधिकारी से उच्चतर पंक्ति का होगा, को अपील कर सकेगा।
4. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक कलैण्डर वर्ष में एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश का हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला को दो जीवित बच्चों तक एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारी पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा

जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा :

परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।

5. नियन्त्रक प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्तव्य (ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रक प्राधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा :

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार, चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी/आरोग्य प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करना होगा।

6. संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति जिसने तैनाती के स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा/होगी, जहां भी प्रशासनिक आधारों पर अपेक्षित हो।
7. चयनित अभ्यर्थी को, राजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में, चिकित्सा बोर्ड द्वारा और अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी, अपना आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। उन महिला अभ्यर्थियों की दशा में, जिन्हें परिसंकटमय स्वरूप के कर्तव्यों को कार्यान्वित करने वाले पदों के विरुद्ध नियुक्त किया जाना है और यदि उन्हें प्रशिक्षण की अवधि को सेवा-शर्त के रूप में पूर्ण करना है तो ऐसी महिला अभ्यर्थी, जो परीक्षण के परिणामस्वरूप बारह सप्ताह या इससे अधिक समय से गर्भवती पाई जाती है, को अस्थायी रूप से अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा और उसकी नियुक्ति को तब तक आस्थगित रखा जाएगा जब तक कि प्रस्वावस्था समाप्त नहीं हो जाती है। ऐसी महिला अभ्यर्थी का प्रस्वावस्था की तारीख से छह सप्ताह के पश्चात् चिकित्सा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा, और यदि वह उपरोक्त यथा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से चिकित्सा आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर उपयुक्त पाई जाती है तो वह उसके लिए आरक्षित रखे गए पद पर नियुक्त की जा सकेगी।
8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी कि नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को पद के वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।
9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ-साथ ई0पी0एफ0/जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार के साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख मास और वर्ष को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

## साक्षियों की उपस्थिति में:

1. ....

.....

(नाम व पूरा पता)

2. ....

.....

(नाम व पूरा पता)

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)

1. ....

.....

(नाम व पूरा पता)

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

2. ....

.....

(नाम व पूरा पता)

-----

*[Authoritative English text of this Department Notification No. EDN-C-A(3)-2/2024, dated 10-10-2024 as required under clause(3) of Article 348 of Constitution of India].*

**ELEMENTARY EDUCATION DEPARTMENT**

## NOTIFICATION

*Shimla-2, the 10th October, 2024*

**No. EDN-C-A(3)-2/2024.**—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the following Recruitment and Promotion Rules for the post of Special Educator(For Class-VI to Class-XII), Group-C (Non-Gazetted) in the Department of Elementary Education, Himachal Pradesh, as per Annexure-‘A’ appended to this notification, namely:—

**1. Short title and Commencement:**

- (1) These rules may be called the Himachal Pradesh Elementary Education Department, Special Educator(For Class-VI to Class-XII), Group-C (Non-Gazetted), Recruitment and Promotion Rules, 2024.
- (2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra(e-Gazette), Himachal Pradesh.

By order,

Sd/-

(RAKESH KANWAR),  
Secretary(Education).

**RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF SPECIAL EDUCATOR  
(FOR CLASS-VI TO CLASS-XII), GROUP-C (NON-GAZATTED) IN THE  
DEPARTMENT OF ELEMENTARY EDUCATION, HIMACHAL PRADESH**

1.	<b>Name of post:</b>	Special Educator ( For Class-VI to Class-XII)
2.	<b>Number of Post(s):</b>	107 (One hundred seven)
3.	<b>Classification:</b>	Group-C
4.	<b>Scale of Pay (Be given in expanded notation):</b>	<p>(i) Pay Band for regular incumbent(s):</p> <p align="center">“Level 10 of pay matrix attached with time scale of the post, as per H.P. Civil Services(Revised Pay) Rules, 2022”.</p> <p>(ii) Pay Band for contractual incumbent(s):</p> <p align="center">“60% of the first cell of the applicable level of pay matrix of the corresponding cadre, as per H.P. Civil Services(Revised Pay) Rules, 2022”.</p>
5.	<b>Whether selection post or Non-selection post:</b>	Non-Selection
6.	<b>Age for direct recruitment:</b>	<p><b>Between 18 to 45 years:</b></p> <p>Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of Government including those who have been appointed on <i>ad hoc</i> basis or on contract basis:</p> <p>Provided further that if a candidate appointed on <i>ad hoc</i> basis or on contract basis had become over-age on the date he/she was appointed as such, he/she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his/her <i>ad hoc</i> or contract appointment:</p> <p>Provided further that the upper age limit is relaxable for Scheduled Castes /Scheduled Tribe/Other Backward classes and Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government:</p> <p>Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government Servants before absorption in Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies at the time of initial constitution of such Corporations/Autonomous Bodies shall be</p>

		<p>allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public sector Corporations/ Autonomous Bodies who were / are subsequently appointed by such Corporations/Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial Constitution of the Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies.</p> <p><b>Note.</b>—Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the Post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.</p>
7.	<b>Educational Qualifications:</b>	<p><b>(a) ESSENTIAL QUALIFICATION:—</b></p> <p><b>(i) Graduation in any stream from a recognized University with atleast 50% marks.</b></p> <p><b>(ii) Bachelor of Education Degree (Special Education) from a Rehabilitation Council of India (RCI) approved institution possess a valid RCI &amp; CRR number.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>OR</b></p> <p><b>B.Ed. with a recognized qualification (Certificate/Diploma) from a Rehabilitation Council of India (RCI) approved institution possess a valid RCI &amp; CRR number.</b></p> <p><b>(iii) Six-month training of teaching in cross disability area in inclusive education(**).</b></p> <p style="text-align: center;"><b>AND</b></p> <p><b>(iv) Pass in Teacher Eligibility Test (TET) duly conducted by H.P. Board of School Education Dharamshala, District Kangra or any other Agency authorized by the Government.</b></p> <p>(**) If the proposed programme(cross disability/top up courses being developed by RCI as on in service training is not available same may be dropped from the qualification with a condition that those recruited with D.Ed./B.ED. Special Education have to compulsory undergo aforesaid training as soon as same is conducted.</p> <p><b>Note.</b>—A candidate must have passed Matriculation and 10+2 from any School/Institution situated within Himachal Pradesh:</p> <p>Provided this condition shall not apply to Bonafide Himachalis.</p>



		<p><b>(b) DESIRABLE QUALIFICATION(s):—</b>                  Knowledge of customs, manner and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.</p>
8.	<p><b>Whether age and Educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees:</b></p>	<p>Age: Not Applicable</p> <p>Educational qualification(s): Not Applicable</p>
9.	<p><b>Period of probation, if any:</b></p>	<p><b>1. Direct Recruitment:—</b></p> <p>(a) Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.</p> <p>(b) No probation in case of appointment on contract basis.</p> <p><b>2. Promotion:—</b>Not Applicable</p>
10.	<p><b>Method(s) of recruitment whether by direct recruitment or by promotion/ secondment/ transfer and percentage of posts to be filled in by various methods:</b></p>	<p><b>100%</b> by direct recruitment, on regular basis or by recruitment on contract basis, as the case may be.</p>
11.	<p><b>In case of recruitment by promotion/ Secondment/ transfer, grade(s) from which promotion/ Secondment/ transfer is to be made:</b></p>	<p>Not Applicable</p>
12.	<p><b>If a Departmental Promotion committee exists. What is its Composition:</b></p>	<p>(i) Departmental Promotion Committee:—                  Not Applicable</p> <p>(ii) Departmental Confirmation Committee:—                  As may be constituted by Government from time to time.</p>

13.	<b>Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission (H.P.P.S.C) is to be consulted in making recruitment:</b>	As required under the law
14.	<b>Essential requirement for a direct recruitment :</b>	A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.
15.	<b>Selection for appointment to the post by direct recruitment:</b>	Selection for appointment to the post in case of direct recruitment shall be made on the basis of merit of written examination and/ or practical test or skill test or physical test, the standard/syllabus etc. will be determined by the Himachal Pradesh Public Service Commission/Himachal Pradesh Rajya Chayan Aayog/ other recruiting agency/ authority, as the case may be.
15 - A.	<b>Selection for appointment to the post by contract recruitment:</b>	<p>Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointment to the post will be made subject to the terms and conditions given below:—</p> <p><b>(I) CONCEPT:—</b></p> <p>(a) Under this policy, the Special Educator(For Class-VI to Class-XII) in the Department of Elementary Education Himachal Pradesh will be engaged on contract basis initially for one year; which may be extendable on year to year basis:</p> <p>Provided that for further extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his/her period of contract is to be renewed/extended.</p> <p><b>(b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HIMACHAL PRADESH RAJYA CHAYAN AAYOG (HPRCA)/OTHER RECRUITING AGENCY:—</b></p> <p>The Director, Elementary Education, H.P. after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency <i>i.e.</i> Himachal Pradesh Rajya Chayan Aayog/ other recruiting Agency/authority, as the case may be.</p>

	<p>(c) The selection will be made in accordance with the eligibility condition prescribed in these rules.</p> <p><b>(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS:-</b></p> <p>The Special Educator(For Class-VI to Class-XII) appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ 22,860/-PM(which shall be 60% of the first cell of the applicable level of the pay Matrix of the corresponding cadre).</p> <p><b>(III) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY:—</b></p> <p>The Director, Elementary Education, Himachal Pradesh will be appointing and disciplinary authority.</p> <p><b>(IV) SELECTION PROCESS:—</b></p> <p><b>(a) FOR POST(S) FALLING WITHIN THE PURVIEW OF HPRCA/OTHER RECRUITING AGENCY:</b></p> <p>Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment shall be made on the basis of merit of written examination and/ or practical test or skill test or physical test, the standard/syllabus etc. will be determined by the Himachal Pradesh Public Service Commission/Himachal Pradesh Rajya Chayan Aayog/ other recruiting agency/authority, as the case may be.</p> <p><b>(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS:—</b></p> <p><b>(a) FOR POST(S) FALLING WITHIN THE PURVIEW OF HPRCA/OTHER RECRUITING AGENCY:—</b></p> <p>As may be constituted by the concerned recruiting agency <i>i.e.</i> Himachal Pradesh Rajya Chayan Aayog/ other recruiting agency, from time to time.</p> <p><b>(VI) AGREEMENT:—</b></p> <p>After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per <b>Annexure-“B”</b> appended to these rules.</p> <p><b>(VII) TERMS AND CONDITIONS:—</b></p> <p><b>(a)</b> The Special Educator(For Class-VI to Class-XII) will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs. 22,860/- PM (which shall be 60%</p>
--	--

		<p>of the first cell of the applicable level of the pay Matrix of the corresponding cadre).</p> <p><b>(b)</b> The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory. In case the contract appointee is not satisfied with the termination orders issued by the Appointing Authority, he/she may prefer an appeal before the Appellate Authority who shall be higher in rank to the Appointing Authority, within a period of 45 days, from the date on which a copy of termination orders is delivered to him/her.</p> <p><b>(c)</b> Contract appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month's service, 10 day's medical leave and 5 days special leave, in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 180 days. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for medical re-imburement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.</p> <p>Un-availed casual leave, medical leave and special leave can be accumulated upto the Calendar Year and will not be carried forward for the next calendar year.</p> <p><b>(d)</b> Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, contract appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty:</p>
--	--	---

		<p>Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.</p> <p>(e) An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.</p> <p>(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness issued by a Medical Board in the case of a Gazetted Government servant and by Government Medical Officer in the case of a Non-Gazetted Government servant. In case of women candidates who are to be appointed against posts carrying hazardous nature of duties, and in case they have to complete a period of training as a condition of service, such woman candidate, who as a result of tests is found to be pregnant of 'twelve weeks' standing or more shall be declared temporarily unfit and her appointment shall be held in abeyance until the confinement is over. Such woman candidate be re-examined for medical fitness six weeks after the date of confinement, and if she is found fit on production of medical fitness certificate from the authority as specified above, she may be appointed to the post kept reserved for her.</p> <p>(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart official at the minimum of pay scale.</p> <p>(h) Provisions of service rules like FR-SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules and Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will also not be applicable to contract appointee(s).</p>
16.	<b>Reservation:</b>	The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/Other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.
17.	<b>Departmental Examination:</b>	Not applicable

<b>18.</b>	<b>Power to Relax:</b>	Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any class or category of person(s) or post(s).
------------	------------------------	---

**Annexure-B**

**Form of contract/ agreement to be executed between the Special Educator( for Class-VI to Class-XII)(Name of the post) and the Government of Himachal Pradesh through Director of Elementary Education. (Designation of the Appointing Authority).**

This agreement is made on this \_\_\_\_\_ day of \_\_\_\_\_ in the year \_\_\_\_\_ between Sh./Smt. \_\_\_\_\_ s/o Shri \_\_\_\_\_, r/o \_\_\_\_\_ Contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY), AND The Governor of Himachal Pradesh through Director of Elementary Education (Designation of the Appointing Authority)/Head of the Institution i.e Principal/Headmaster ( hereinafter the SECOND PARTY). Whereas , the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a Trained Graduate Teacher (Name of the post) on contract basis on the following terms & conditions:—

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Special Educator(for Class-VI to Class-XII) ( Name of the post) for a period of 1 year commencing on day of \_\_\_\_\_ and ending on the day of \_\_\_\_\_. It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall *ipso-facto* stand terminated on the last working day *i.e.* on \_\_\_\_\_. And information/ notice shall not be necessary:

Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the Head of the Institution shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee was satisfactory during the year and only then his/her period of contract is to be renewed/extended.

2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be Rs. 22,860/- per month (which shall be 60% of the first cell of the applicable level of pay matrix of the corresponding cadre) .
3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory. In case the contract appointee is not satisfied with the termination orders issued by the Appointing Authority, he/she may prefer an appeal before the appellate Authority who shall be higher in rank to the Appointing Authority, within a period of 45 days, from the date on which a copy of termination orders is delivered to him/her.
4. Contract appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month's service, 10 day's medical leave and 5 days special leave, in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 180 days. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 day' (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical

certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for medical re-imburement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee. Un-availed casual leave, medical leave and special leave can be accumulated upto the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year.

5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government. However, contract appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.
6. An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need basis wherever required on administrative grounds.
7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness issued by a Medical Board in the case of a Gazetted Government servant and by Government Medical Officer in the case of a Non-Gazetted Government servant. In case of women candidates who are to be appointed against posts carrying hazardous nature of duties, and in case they have to complete a period of training as a condition of service, such woman candidate, who as a result of tests is found to be pregnant of twelve weeks' standing or more shall be declared temporarily unfit and her appointment shall be held in abeyance until the confinement is over. Such woman candidate be re-examined for medical fitness six weeks after the date of confinement, and if she is found fit on production of medical fitness certificate from the authority as specified above, she may be appointed to the post kept reserved for her.
8. Contract appointee will be entitled to TA/DA, if required, to go on tour in connection with his/ her official duties at the same rate as applicable to regular counter-part official.
9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to contractual appointee(s).

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Name and full Address)

(Signature of the FIRST PARTY)

2. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Name and full Address)

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(Name and full Address)

(Signature of the Second PARTY)

2. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(Name and full Address)

\_\_\_\_\_

## JAL SHAKTI VIBHAG

### NOTIFICATION

*Shimla-171002, the 21st October, 2024*

**No. JSV-B(A)4-1/2023.**—The Governor of Himachal Pradesh is pleased to constitute a Expert Group for providing inputs in finalizing the Legislation for water levy on domestic and non-domestic usage of water assigned to department of Jal Shakti Vibhag, which shall send latest updated status on the water levy by the end of October, 2024 as under:—

- |   |                            |
|---|----------------------------|
| 1. Additional Chief Secretary (Jal Shakti)                          | .. <i>Chairman</i>         |
| 2. Sh. Amitabh Avasthi. Chairperson<br>H.P. State Water Commission. | .. <i>Member Secretary</i> |
| 3. Secretary (MPP&Power)  | .. <i>Member</i>           |
| 4. L.R.-cum-Secretary (Law)   | .. <i>Member</i>           |
| 5. Addl. Advocate General, Himachal Pradesh<br>at New Delhi.        | .. <i>Member</i>           |
| 6. Engineer-in-Chief, JSV   | .. <i>Member</i>           |

\* The Expert Group may nominate any Member or Expert in the Group as per requirement.

### 2. TERMS OF REFERENCE:

1. The Group will finalize the Consultancy Agency at New Delhi who is already doing legislation drafting for the Govt. of India or some other States.
2. Consultation meetings of the Group will be convened as and when required by the Consultancy Agency. 1st meeting would be convened with this agency on 23-10-2024.



3. The Group shall apprise the outcome of the 1st meeting to the Hon'ble Chief Minister, Himachal Pradesh on 24-10-2024 (5.00 P.M.) at New Delhi.
4. This has been uploaded on e-Gazette of the Himachal Pradesh Government.

By order,  
Sd/-  
*Addl. Chief Secretary (Jal Shakti).*

---

**HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001**

**NOTIFICATION**

*Shimla, the 23rd August, 2024*

**No. HHC/GAZ/14-396/2019.**—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 05 days earned leave *w.e.f.* 20-08-2024 to 24-08-2024 with permission to prefix 18-08-2024 & 19-08-2024 being Sunday & Gazetted holiday and suffix 25-08-2024 & 26-08-2024 being Sunday & Gazetted holiday in favour of Sh. Sumit Thakur, Civil Judge-*cum*-JMFC, Tissa, District Chamba, H.P.

Certified that Sh. Sumit Thakur is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Sh. Sumit Thakur would have continued to hold the post of Civil Judge-*cum*-JMFC, Tissa, District Chamba, H.P., but for his proceeding on leave for the above period.

By order,  
Sd/-  
*Registrar General.*

---

**HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001**

**NOTIFICATION**

*Shimla, the 27th August, 2024*

**No. HHC/GAZ/14-380/2017.**—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 08 days earned leave *w.e.f.* 27-08-2024 to 03-09-2024 with permission to prefix Sunday & Gazetted holiday falling on 25-08-2024 & 26-08-2024 in favour of Ms. Vatsala Chaudhary, Civil Judge-*cum*-JMFC (II), Hamirpur, H.P.

Certified that Ms. Vatsala Chaudhary is likely to join the same post and at the same station from where she proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Ms. Vatsala Chaudhary would have continued to hold the post of Civil Judge-cum-JMFC (II), Hamirpur, H.P., but for her proceeding on leave for the above period.

By order,

Sd/-  
Registrar General.

---

**HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001**

NOTIFICATION

*Shimla, the 27th August, 2024*

**No. HHC/GAZ/14-361/2015.**—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant *ex-post facto* sanction of 13 days' commuted leave *w.e.f.* 03-06-2024 to 15-06-2024 with permission to affix Sundays fell on 02-06-2024 and 16-06-2024, respectively in favour of Ms. Sonal Sharma, Civil Judge-cum-JMFC-I, Solan, H.P.

Certified that Ms. Sonal Sharma has joined the same post and at the same station from where she proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Ms. Sonal Sharma would have continued to hold the post of Civil Judge-cum-JMFC-I, Solan, H.P., but for her proceeding on leave for the above period.

By order,

Sd/-  
Registrar General.

---

**HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001**

NOTIFICATION

*Shimla, the 27th August, 2024*

**No. HHC/GAZ/14-239/99-1.**—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 03 days earned leave *w.e.f.* 27-08-2024 to 29-08-2024 with permission to prefix 25-08-2024 & 26-08-2024 being Sunday & Gazetted holiday in favour of Sh. Jaswant Singh, District & Sessions Judge, Chamba, H.P.

Certified that Sh. Jaswant Singh is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Sh. Jaswant Singh would have continued to hold the post of District and Sessions Judge, Chamba, but for his proceeding on leave for the above period.

By order,

Sd/-  
Registrar General.

---

**HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001**

NOTIFICATION

*Shimla, the 28th August, 2024*

**No. HHC/GAZ/14-268/2003.**—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to order the cancellation of 03 days un-availed earned leave *w.e.f.* 16-06-2024 to 18-06-2024, already sanctioned *vide* this Registry Notification No. HHC/GAZ/14-268/2003-16533-40, dated 06-06-2024, in favour of Sh. Arvind Kumar, Additional District and Sessions Judge (I), Mandi, H.P.

By order,

Sd/  
Registrar General.

---

**HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001**

NOTIFICATION

*Shimla, the 27th August, 2024*

**No. HHC/GAZ/14-291/2006- I.**—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant *ex-post facto* sanction of 03 days' commuted leave *w.e.f.* 25-06-2024 to 27-06-2024 in favour of Sh. Subhash Chander Bhaseen, Sr. Civil Judge-*cum*-CJM, Kullu, H.P.

Certified that Sh. Subhash Chander Bhaseen had joined the same post and at the same station from where he proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Sh. Subhash Chander Bhaseen would have continued to hold the post of Sr. Civil Judge-*cum*-CJM, Kullu, H.P., but for his proceeding on leave for the above period.

By order,

Sd/  
Registrar General.

---

**HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001**

NOTIFICATION

*Shimla, the 29th August, 2024*

**No. HHC/Estt.3(506)/2000-I.**—10 days earned leave on and *w.e.f.* 04-09-2024 to 13-09-2024 with permission to suffix second Saturday and Sunday falling on 14th & 15th September, 2024 is hereby sanctioned in favour of Shri Subhash Chauhan, Additional Registrar of this Registry.

Certified that Shri Subhash Chauhan is likely to join the same post and at the same station from where he had proceeds on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Shri Subhash Chauhan would have continued to officiate the same post of Additional Registrar but for his proceeding on leave.

By order,

Sd/-  
Registrar General.

---

**HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001**

NOTIFICATION

*Shimla, the 29th August, 2024*

**No. HHC/Estt.3(468)/96-I.**—09 days earned leave on and *w.e.f.* 05-09-2024 to 13-09-2024 with permission to suffix second Saturday and Sunday falling on 14th & 15th September, 2024 is hereby sanctioned in favour of Shri Moor Chand, Assistant Registrar of this Registry.

Certified that Shri Moor Chand is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Shri Moor Chand would have continued to officiate the same post of Assistant Registrar but for his proceeding on leave.

By order,

Sd/-  
Registrar General.

---

**HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001**

NOTIFICATION

*Shimla, the 30th August, 2024*

**No. HHC/ Estt.3(605)/2007.**—05 days commuted leave *w.e.f.* 02-07-2024 to 06-07-2024 with permission to suffix Sunday on 07-07-2024 is hereby sanctioned, *ex-post-facto*, in favour of Smt. Monika Sood, Secretary of this Registry.

Certified that Smt. Monika Sood has joined the same post and at the same station from where she had proceeded on leave after the expiry of the above leave period.

Also certified that Smt. Monika Sood would have continued to officiate the same post of Secretary but for her proceeding on leave.

By order,

Sd/-  
Registrar General.

---

**HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001**

NOTIFICATION

*Shimla, the 30th August, 2024*

**No. HHC/Estt.3(507)/2000-I.**—12 days earned leave on and *w.e.f.* 02-09-2024 to 13-09-2024 with permission to prefix Sunday falling on 01-09-2024 and suffix second Saturday and Sunday falling on 14th & 15th September, 2024 is hereby sanctioned in favour of Shri Hemant Sharma, Deputy Registrar of this Registry.

Certified that Shri Hemant Sharma is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Shri Hemant Sharma would have continued to officiate the same post of Deputy Registrar but for his proceeding on leave.

By order,

Sd/-  
Registrar General.

---

**HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001**

NOTIFICATION

*Shimla, the 30th August, 2024*

**No. HHC/Estt.3(762)/2010.**—03 days commuted leave *w.e.f.* 29-07-2024 to 31-07-2024 is hereby sanctioned, *ex-post-facto*, in favour of Smt. Priti Sharma, Secretary of this Registry.

Certified that Smt. Priti Sharma has joined the same post and at the same station from where she had proceeded on leave after the expiry of the above leave period.

Also certified that Smt. Priti Sharma would have continued to officiate the same post of Secretary but for her proceeding on leave.

By order,

Sd/-  
Registrar General.

---

**HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001**

## NOTIFICATION

*Shimla, the 30th August, 2024*

**No. HHC/Estt.3(553)/2004-I.**—03 days commuted leave *w.e.f.* 27-06-2024 to 29-06-2024 with permission to suffix Sunday on 30-06-2024 is hereby sanctioned, *ex-post-facto*, in favour of Shri Karan Singh Kanwar, Court Master of this Registry.

Certified that Shri Karan Singh Kanwar has joined the same post and at the same station from where he had proceeded on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Shri Karan Singh Kanwar would have continued to officiate the same post of Court Master but for his proceeding on leave.

By order,

Sd/-  
*Registrar General.*

---

**HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001**

## NOTIFICATION

*Shimla, the 29th August, 2024*

**No. HHC/GAZ/14-372/2016.**—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 05 days earned leave *w.e.f.* 20-08-2024 to 24-08-2024 with permission to prefix 18-08-2024 & 19-08-2024 being Sunday and Gazetted holiday and suffix 25-08-2024 & 26-08-2024 being Sunday and Gazetted holiday in favour of Ms. Rosy Dahiya, Civil Judge-*cum*-JMFC, Jhandutta, District Bilaspur, H.P.

Certified that Ms. Rosy Dahiya is likely to join the same post and at the same station from where she proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Ms. Rosy Dahiya would have continued to hold the post of Civil Judge-*cum*-JMFC, Jhandutta, District Bilaspur H.P., but for her proceeding on leave for the above period.

By order,

Sd/-  
*Registrar General.*

---

**HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001**

## NOTIFICATION

*Shimla, the 16th October, 2024*

**No. HHC/Rules/Distt.Judiciary/2022.**—In exercise of the powers conferred under Article 227 of Constitution of India read with Section 4 of the Himachal Pradesh Subordinate Court's

Employees (Pay, Allowances and other condition of Service) Act, 2005 and Section 18 of the Himachal Pradesh Courts Act, 1976 and all other powers enabling thereto, the High Court of Himachal Pradesh with prior approval of the State Government, is pleased to make the following amendment(s) in “**The Himachal Pradesh District Judiciary Staff (Recruitment, Promotion, Control, Conduct, Discipline and other Conditions of Service) Rules, 2022**”:-

Brief description of the heading	No. of the Rule	Particulars of the Rule																														
<b>Short Title:</b>	<b>1.</b>	These Rules shall be called “ <b>The Himachal Pradesh District Judiciary Staff (Recruitment, Promotion, Control, Conduct, Discipline and other Conditions of Service) 2<sup>nd</sup> Amendment Rules, 2024.</b> ”																														
<b>Commencement:</b>	<b>2.</b>	These Rules shall come into force from the date of publication in the official Gazette (e-Gazette) of Himachal Pradesh.																														
<b>Amendment:</b>	<b>3 (a)</b>	<p>(1) In Schedule-I, Part-A, existing Serial No. 2 shall stand deleted and substituted as under:—</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Sl. No.</th> <th>Nomenclature of the post(s)</th> <th>Classification of the Post</th> <th>Pay Scale (on and w.e.f. 1-4-2003)</th> <th>Revised Pay Scale + Grade Pay w.e.f. 1-1-2006</th> <th>No. of Posts</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.</td> <td>Senior Sheristedar (in the Courts of Senior Civil Judge)</td> <td>Class-II (Non Gazetted)</td> <td>Rs. 7000-10980</td> <td>-</td> <td>61</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Sheristedar (in the Courts of Civil Judge)</td> <td>Class-II (Non Gazetted)</td> <td>Rs. 6400-10640</td> <td>-</td> <td>61</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) In Schedule-I, Part-A, existing Serial No. 3 and 4 shall stand deleted and substituted as under:—</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Sl.No.</th> <th>Nomenclature of the post (s)</th> <th>Classification of the Post</th> <th>Pay Scale (on and w.e.f. 1-4-2003)</th> <th>Revised Pay Scale + Grade Pay w.e.f. 1-1-2006</th> <th>No. of Posts</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.</td> <td>Reader Grade -I (to the Court of District</td> <td>Class-II (Non Gazetted)</td> <td>Rs. 7000-10980</td> <td>-</td> <td>41</td> </tr> </tbody> </table>	Sl. No.	Nomenclature of the post(s)	Classification of the Post	Pay Scale (on and w.e.f. 1-4-2003)	Revised Pay Scale + Grade Pay w.e.f. 1-1-2006	No. of Posts	2.	Senior Sheristedar (in the Courts of Senior Civil Judge)	Class-II (Non Gazetted)	Rs. 7000-10980	-	61	3.	Sheristedar (in the Courts of Civil Judge)	Class-II (Non Gazetted)	Rs. 6400-10640	-	61	Sl.No.	Nomenclature of the post (s)	Classification of the Post	Pay Scale (on and w.e.f. 1-4-2003)	Revised Pay Scale + Grade Pay w.e.f. 1-1-2006	No. of Posts	4.	Reader Grade -I (to the Court of District	Class-II (Non Gazetted)	Rs. 7000-10980	-	41
Sl. No.	Nomenclature of the post(s)	Classification of the Post	Pay Scale (on and w.e.f. 1-4-2003)	Revised Pay Scale + Grade Pay w.e.f. 1-1-2006	No. of Posts																											
2.	Senior Sheristedar (in the Courts of Senior Civil Judge)	Class-II (Non Gazetted)	Rs. 7000-10980	-	61																											
3.	Sheristedar (in the Courts of Civil Judge)	Class-II (Non Gazetted)	Rs. 6400-10640	-	61																											
Sl.No.	Nomenclature of the post (s)	Classification of the Post	Pay Scale (on and w.e.f. 1-4-2003)	Revised Pay Scale + Grade Pay w.e.f. 1-1-2006	No. of Posts																											
4.	Reader Grade -I (to the Court of District	Class-II (Non Gazetted)	Rs. 7000-10980	-	41																											

			Judge/Additional District Judge)				
		5.	Reader Grade-II (to the Court of Senior Civil Judge)	Class-II (Non Gazetted)	Rs. 6400-10640	-	32
		6.	Reader Grade-III (to the Court of Civil Judge)	Class-III	Rs. 5800-9200	-	60
		(3) Existing Serial Nos. 5 to 13 in Schedule-I, Part-A shall be renumbered as Serial No. 7 to 15.					
	<b>3 (b)</b>	(1) In Serial No. 1 'Chief Administrative Officer' of Part-A, Schedule-II, Clause(1) of Column-4 shall be substituted as under:—  “By way of promotion by selection from amongst first six eligible officials in the cadre of Senior Sheristedars and Reader Grade-I working in the concerned Civil and Sessions Division as prescribed in Part-1 of Schedule-III.”					
		(2) In Schedule-II, Part-A, Serial No. 2 and 3 shall stand deleted and substituted as under:—					
		<b>Sl. No.</b>	<b>Nomenclature of post(s)</b>	<b>Appointing Authority</b>	<b>Qualification, feeder cadre and mode of appointment/ promotion</b>		
		2.	Senior Sheristedar	District Judge	<b>Senior Sheristedar (in the Court of District Judge (Forests), CBI Court, Family Courts and Additional District Judges Court) wherever post is sanctioned</b> By placement from amongst senior most		



				Senior Sheristedar working in the Division. <b>Sr. Sheristedar (in the Court of Senior Civil Judge)</b> By promotion from amongst the Sheristedars of the Courts of Civil Judges and Reader Grade-II working in Division having minimum education qualification of 10+2 and qualifying service of 2 years in the feeder category, in terms of option.
3.	Sheristedar	District Judge		By promotion from amongst the Senior Assistants/ equivalent posts in same pay level/matrix working in the Division having minimum education qualification of 10+2 and service of 2 years in feeder posts, in terms of option.
4.	Reader Grade-I	District Judge		By promotion from amongst Reader Grade-II, Sheristedars of the Courts of Civil Judges having minimum education qualification of 10+2 and service of 2 years in feeder posts, in terms of option.
5.	Reader Grade-II	District Judge		By way of promotion from amongst the Reader Grade-III, Senior Assistants and equivalent posts working in the Division having minimum education qualification of 10+2 and service of 2 years in feeder posts, in terms of option.
6.	Reader Grade-III	District Judge		By way of placement from amongst Senior Assistants and officials working on equivalent posts in the same pay matrix in the Division.

		(3) The existing Serial No. 4 to 13 in Schedule-II, Part-A shall be renumbered as Serial No. 7 to 16.
--	--	---

By order,

*High Court of Himachal Pradesh.*

Sd/-

*Registrar General.*

## HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001

### NOTIFICATION

*Shimla, the 25th July, 2024*

**No.HHC/Rules/Distt.Judiciary/2022.**—In exercise of the powers conferred under Article 227 of Constitution of India read with Section 4 of the Himachal Pradesh Subordinate Court's Employees (Pay, Allowances and other condition of Service) Act, 2005 and Section 18 of the Himachal Pradesh Courts Act, 1976 and all other powers enabling thereto, the High Court of Himachal Pradesh with prior approval of the State Government, is pleased to make the following amendment(s) in “**The Himachal Pradesh District Judiciary Staff (Recruitment, Promotion, Control, Conduct, Discipline and other Conditions of Service) Rules, 2022**”:

Brief description of the heading	No. of the Rule	Particulars of the Rule
<b>Short Title:</b>	<b>1.</b>	These Rules shall be called “ <b>The Himachal Pradesh District Judiciary Staff (Recruitment, Promotion, Control, Conduct, Discipline and other Conditions of Service) First Amendment Rules, 2023.</b> ”
<b>Commencement:</b>	<b>2.</b>	These Rules shall come into force on the date of publication.
<b>Amendment(s):</b>	<b>3.</b>	<p>1. The existing <b>Explanation No. 4 in Part-II, Rule 4 “Establishment”</b> of “The Himachal Pradesh District Judiciary Staff (Recruitment, Promotion, Control, Conduct, Discipline and other Conditions of Service) Rules, 2022” shall stand deleted.</p> <p>2. The existing <b>Sub Rule (f) in Part-II, Rule-13 “Probation”</b> of “The Himachal Pradesh District Judiciary Staff (Recruitment, Promotion, Control, Conduct, Discipline and</p>

		other Conditions of Service) Rules, 2022” shall stand deleted.
--	--	--

By order,

High Court of Himachal Pradesh.

Sd/-

Registrar General.

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा,  
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं० : /तहसील/रीडर/2024

तारीख पेशी : 20-09-2024

उर्मिला देवी पुत्री बैन्सू राम, निवासी मुहल्ला/गांव भनोता, डा0 चनेड, तहसील व जिला चम्बा,  
हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत भनोता, विकास खण्ड चम्बा

विषय.—जन्म/मृत्यु सम्बन्धित पंजीकरण बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना०) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या-1789/2024, दिनांक 26-04-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024-9068, दिनांक 19-04-2024, शपथ-पत्र, अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, नकल आधार कार्ड, नकल स्कूल प्रमाण-पत्र जिसमें प्रार्थिया उर्मिला देवी पुत्री बैन्सू राम, निवासी मुहल्ला/गांव भनोता, डा0 चनेड, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि 01-07-1966 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत भनोता के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है जो नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है इसलिए आवेदिका ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत भनोता के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया उर्मिला देवी पुत्री बैन्सू राम, निवासी मुहल्ला/गांव भनोता, डा0 चनेड, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि 01-07-1966 को ग्राम पंचायत भनोता के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इशतहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थिया की जन्म तिथि 01-07-1966 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक ..... को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय जारी हुए हैं।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,  
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि०प्र०)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा,  
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : /तहसील/रीडर/2024

तारीख पेशी : 20-09-2024

निर्जला देवी पुत्री बलदेव, निवासी मुहल्ला/गांव पधरुई, डा0 कीडी, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत कीडी, विकास खण्ड मैहला

विषय.—जन्म/मृत्यु सम्बन्धित पंजीकरण बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या /2024, दिनांक 24-04-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024-9049, दिनांक 19-04-2024, शपथ-पत्र, अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, नकल आधार कार्ड, नकल स्कूल प्रमाण-पत्र जिसमें प्रार्थिया निर्जला देवी पुत्री बलदेव, निवासी मुहल्ला/गांव पधरुई, डा0 कीडी, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि 17-10-1982 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत कीडी के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है जो नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है इसलिए आवेदिका ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत कीडी के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया निर्जला देवी पुत्री बलदेव, निवासी मुहल्ला/गांव पधरुई, डा0 कीडी, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि 17-10-1982 को ग्राम पंचायत कीडी के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इशतहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थिया की जन्म तिथि 17-10-1982 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक ..... को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय जारी हुए हैं।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,  
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा,  
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : /तहसील/रीडर/2024

तारीख पेशी : 20-09-2024

सुमित्रा देवी पुत्री मुनसी, निवासी मुहल्ला/गांव पंजोह, डा0 कोहलडी, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत पंजोह, विकास खण्ड चम्बा

विषय.—जन्म/मृत्यु सम्बन्धित पंजीकरण बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या—1744/2024, दिनांक 18-04-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024-8900, दिनांक 18-04-2024, शपथ-पत्र, अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, नकल आधार कार्ड, नकल स्कूल प्रमाण-पत्र जिसमें प्रार्थिया सुमित्रा देवी पुत्री मुनसी, निवासी मुहल्ला/गांव पंजोह, डा0 कोहलडी, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि 05-01-1972 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत पंजोह के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है जो नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है इसलिए आवेदिका ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत पंजोह के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया सुमित्रा देवी पुत्री मुनसी, निवासी मुहल्ला/गांव पंजोह, डा0 कोहलडी, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि 05-01-1972 को ग्राम पंचायत पंजोह के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इशतहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूत्र में प्रार्थिया की जन्म तिथि 05-01-1972 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक ..... को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय जारी हुए हैं।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,  
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा,  
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : /तहसील/रीडर/2024

तारीख पेशी : 20-09-2024

लाम्बो पुत्री भगतो, निवासी मुहल्ला/गांव हथेडी, डा0 मंगला, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत मंगला, विकास खण्ड मैहला

विषय.—जन्म/मृत्यु सम्बन्धित पंजीकरण बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 1745/2024, दिनांक 25-04-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा

अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024-9064, दिनांक 19-04-2024, शपथ-पत्र, अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, नकल आधार कार्ड, नकल स्कूल प्रमाण-पत्र जिसमें प्रार्थिया लाम्बो पुत्री भगतो, निवासी मुहल्ला/गांव हथेडी, डा0 मंगला, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि 14-07-1965 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत मंगला के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है जो नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है इसलिए आवेदिका ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत मंगला के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया लाम्बो पुत्री भगतो, निवासी मुहल्ला/गांव हथेडी, डा0 मंगला, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि 14-07-1965 को ग्राम पंचायत मंगला के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इशतहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थिया की जन्म तिथि 14-07-1965 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक ..... को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय जारी हुए हैं।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,  
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा,  
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : /तहसील/रीडर/2024

तारीख पेशी : 20-09-2024

1. लाल सेहन पुत्र आयुव, निवासी मुहल्ला/गांव चलागंल, डा0 सिल्लाघराट, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
2. शबीर पुत्र आयुव, निवासी मुहल्ला/गांव चलागंल, डा0 सिल्लाघराट, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत सिल्लाघराट, विकास खण्ड चम्बा

विषय.—जन्म/मृत्यु सम्बन्धित पंजीकरण बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या-1874/2024, दिनांक 01-05-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024-9452, दिनांक 27-04-2024, शपथ-पत्र, अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, नकल आधार कार्ड, नकल स्कूल प्रमाण-पत्र जिसमें प्रार्थी आयुव पुत्र श्री वाला, निवासी मुहल्ला/गांव चलागंल, डा0 सिल्लाघराट, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश के पुत्र लाल सेहन जन्म तिथि 08-08-2014, शबीर 24-06-2020 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत सिल्लाघराट के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई हैं जो नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है इसलिए आवेदक ने अनुरोध किया है कि उनकी जन्म तिथियों को ग्राम पंचायत सिल्लाघराट के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी आयुव पुत्र श्री वाला, निवासी मुहल्ला/गांव चलागंल, डा0 सिल्लाघराट, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश के पुत्र लाल सेहन जन्म तिथि 08-08-2014, शबीर 24-06-2020 को ग्राम पंचायत सिल्लाघराट के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इशतहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में उक्त जन्म तिथियों 08-08-2014, 24-06-2020 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक ..... को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय जारी हुए हैं।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,  
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा,  
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : /तहसील/रीडर/2024

तारीख पेशी : 20-09-2024

1. मरूफा पुत्री श्री मेहरदीन, निवासी मुहल्ला/गांव जोकानी, डा0 सिल्लाघराट, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
2. रहिमा पुत्री श्री मेहरदीन, निवासी मुहल्ला/गांव जोकानी, डा0 सिल्लाघराट, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।
3. फातिमा पुत्री श्री मेहरदीन, निवासी मुहल्ला/गांव जोकानी, डा0 सिल्लाघराट, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत सिल्लाघराट, विकास खण्ड चम्बा

विषय.—जन्म/मृत्यु सम्बन्धित पंजीकरण बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या-2692/2024, दिनांक 18-06-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024-11688, दिनांक 13-06-2024, शपथ-पत्र, अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, नकल आधार कार्ड, नकल स्कूल प्रमाण-पत्र जिसमें प्रार्थी मेहरदीन पुत्र श्री मामसैन, निवासी मुहल्ला/गांव जोकानी, डा0 सिल्लाघराट, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की पुत्रीयां मरूफा जन्म तिथि 06-04-2016, रहिमा जन्म तिथि 18-11-2017, फातिमा जन्म तिथि 10-01-2019, किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत सिल्लाघराट के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई हैं जो नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है इसलिए आवेदक ने अनुरोध किया है कि उक्त जन्म तिथियों को ग्राम पंचायत सिल्लाघराट के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी मेहरदीन पुत्र श्री मामसैन, निवासी मुहल्ला/गांव जोकानी, डा0 सिल्लाघराट, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की पुत्रीयां मरूफा जन्म तिथि 06-04-2016, रहिमा जन्म तिथि 18-11-2017, फातिमा जन्म तिथि 10-01-2019

को ग्राम पंचायत सिल्लाघराट के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इशतहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी की पुत्रीयां जिनकी जन्म तिथियां 06-04-2016, 18-11-2017, 10-01-2019 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक ..... को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय जारी हुए हैं।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,  
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा,  
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : /तहसील/रीडर/2024

तारीख पेशी : 20-09-2024

सतो पुत्री श्री हीरा, निवासी मुहल्ला/गांव थल्ला, डा0 रजेरा, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत रजेरा, विकास खण्ड मैहला

विषय.—जन्म/मृत्यु सम्बन्धित पंजीकरण बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 2979.80/2024, दिनांक 03-07-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य विकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024-8031, दिनांक 06-04-2024, शपथ-पत्र, अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, नकल आधार कार्ड, नकल स्कूल प्रमाण-पत्र जिसमें प्रार्थिया सतो पुत्री श्री हीरा, निवासी मुहल्ला/गांव थल्ला, डा0 रजेरा, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि 01-07-1965 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत रजेरा के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है जो नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है इसलिए आवेदिका ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत रजेरा के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया सतो पुत्री श्री हीरा, निवासी मुहल्ला/गांव थल्ला, डा0 रजेरा, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि 01-07-1965 को ग्राम पंचायत रजेरा के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इशतहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थिया की जन्म तिथि 01-07-1965 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।



आज दिनांक ..... को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय जारी हुए हैं।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,  
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

**ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा,  
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश**

मिसल नं0 : /तहसील/रीडर/2024

शुमा पुत्री फते मुहम्मद, निवासी मुहल्ला/गांव संडाह, डा0 साहो, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत रजिंडू, विकास खण्ड चम्बा

विषय.—जन्म/मृत्यु सम्बन्धित पंजीकरण बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या-1809/2024, दिनांक 27-04-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024-80725, दिनांक 09-04-2024, शपथ-पत्र, अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, नकल आधार कार्ड, नकल स्कूल प्रमाण-पत्र जिसमें प्रार्थिया शेर बानो पत्नी फते मुहम्मद, निवासी मुहल्ला/गांव संडाह, डा0 साहो, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की पुत्री की जन्म तिथि 15-03-2005 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत रजिंडू के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है जो नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है इसलिए आवेदिका ने अनुरोध किया है कि उक्त जन्म तिथि को ग्राम पंचायत रजिंडू के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया शेर बानो पत्नी फते मुहम्मद, निवासी मुहल्ला/गांव संडाह, डा0 साहो, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की पुत्री की जन्म तिथि 15-03-2005 को ग्राम पंचायत रजिंडू के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इशतहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में उक्त की जन्म तिथि 15-03-2005 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक ..... को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय जारी हुए हैं।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,  
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा,  
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं० : /तहसील/रीडर/2024

तारीख पेशी : 20-09-2024

कुंता देवी पुत्री बुधिया राम, निवासी मुहल्ला/गांव व डा० साच, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत साच, विकास खण्ड चम्बा

विषय.—जन्म/मृत्यु सम्बन्धित पंजीकरण बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना०) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या-2476/2024, दिनांक 03-06-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024-11063, दिनांक 30-05-2024, शपथ-पत्र, अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, नकल आधार कार्ड, नकल स्कूल प्रमाण-पत्र जिसमें प्रार्थिया कुंता देवी पुत्री बुधिया राम, निवासी मुहल्ला/गांव व डा० साच, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि 04-12-1972 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत साच के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है जो नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है इसलिए आवेदिका ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत साच के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया कुंता देवी पुत्री बुधिया राम, निवासी मुहल्ला/गांव व डा० साच, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि 04-12-1972 को ग्राम पंचायत साच के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इशतहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थिया की जन्म तिथि 04-12-1972 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक ..... को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय जारी हुए हैं।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,  
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि०प्र०)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा,  
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नम्बर : तहसील/रीडर/2024

तारीख पेशी : 20-09-2024

लेख राज पुत्र भिन्द्रो, निवासी गांव/मुहल्ला मंदोलू, परगना गुदियाल, तहसील व जिला चम्बा (हि०प्र०)।

बनाम

साधारण आम जनता

विषय.—कागजात माल में प्रार्थी का नाम दुरुस्त करने बारा।

प्रार्थी लेख राज पुत्र भिन्द्रो, निवासी गांव/मुहल्ला मंदोलू, परगना गुदियाल, तहसील व जिला चम्बा (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में आवेदन किया है कि उसका नाम उसके आधार कार्ड, नकल परिवार रजिस्टर ग्राम पंचायत चम्बी, विकास खण्ड में लेख राज दर्ज है जोकि सही व दुरुस्त है परन्तु तहसील चम्बा के पटवार सर्कल जडेरा के मुहाल धार के राजस्व अभिलेख में उसका नाम खेम राज दर्ज कागजात माल है, जोकि गलत है तथा प्रार्थना की है कि उसका नाम तहसील चम्बा के पटवार सर्कल जडेरा के मुहाल चम्बी के राजस्व अभिलेख में खेम राज की बजाये खेम राज उर्फ लेखराज दुरुस्त करने के आदेश पारित करें।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि खेम राज के नाम को लेख राज दुरुस्त करने बारा आम जनता को कोई आपत्ति हो तो वह इस इशतहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी के नाम को दुरुस्त करने के आदेश पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 20-08-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार,  
सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा,  
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नम्बर : तहसील/रीडर/2024

तारीख पेशी : 20-09-2024

रत्न चंद पुत्र सुखो, निवासी गांव/मुहल्ला सलुई, परगना गुदियाल, तहसील व जिला चम्बा (हि0प्र0)।

बनाम

साधारण आम जनता

विषय.—कागजात माल में प्रार्थी का नाम दुरुस्त करने बारा।

प्रार्थी रत्न चंद पुत्र सुखो, निवासी गांव/मुहल्ला सलुई, परगना गुदियाल, तहसील व जिला चम्बा (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में आवेदन किया है कि उसका नाम उसके आधार कार्ड, नकल स्कूल प्रमाण-पत्र में रत्न चंद दर्ज है जोकि सही व दुरुस्त है परन्तु तहसील चम्बा के पटवार सर्कल जडेरा के मुहाल गोहंद के राजस्व अभिलेख में उसका नाम रत्नों दर्ज कागजात माल है, जोकि गलत है तथा प्रार्थना की है कि उसका नाम तहसील चम्बा के पटवार सर्कल जडेरा के मुहाल गोहंद के राजस्व अभिलेख में रत्नों की बजाये रत्न चंद दुरुस्त करने के आदेश पारित करें।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि रतनो के नाम को रत्न चंद दुरुस्त करने बारा आम जनता को कोई आपत्ति हो तो वह इस इशतहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी के नाम को दुरुस्त करने के आदेश पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 01-08-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार,  
सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

**ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा,  
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश**

मिसल नम्बर : तहसील/रीडर/2024

तारीख पेशी : 16-09-2024

सुरजीत कुमार पुत्र कर्म चंद, निवासी गांव/मुहल्ला डीवरी, परगना साच, तहसील व जिला चम्बा (हि0प्र0)।

बनाम

साधारण आम जनता

विषय.—कागजात माल में प्रार्थी का नाम दुरुस्त करने बारा।

प्रार्थी सुरजीत कुमार पुत्र कर्म चंद, निवासी गांव/मुहल्ला डीवरी, परगना साच, तहसील व जिला चम्बा (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में आवेदन किया है कि उसका नाम उसके आधार कार्ड व नकल परिवार रजिस्टर ग्राम पंचायत टपुन, विकास खंड मैहला में सुरजीत कुमार दर्ज है जोकि सही व दुरुस्त है परन्तु तहसील चम्बा के पटवार सर्कल वसोधन के मुहाल वसोधन व पटवार सर्कल मंगला के मुहाल टपुन के राजस्व अभिलेख में उसका नाम सुरजीत दर्ज कागजात माल है, जोकि गलत है तथा प्रार्थना की है कि उसका नाम तहसील चम्बा के पटवार सर्कल वसोधन के मुहाल वसोधन व पटवार सर्कल मंगला के मुहाल टपुन के राजस्व अभिलेख में उसका नाम सुरजीत की बजाये सुरजीत कुमार दुरुस्त करने के आदेश पारित करें।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि सुरजीत के नाम को सुरजीत कुमार दुरुस्त करने बारा आम जनता को कोई आपत्ति हो तो वह इस इशतहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी के नाम को दुरुस्त करने के आदेश पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 19-08-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार,  
सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा,  
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नम्बर : तहसील/रीडर/2024

तारीख पेशी : 20-09-2024

विश्वाजीत पुत्र पृथीचंद, निवासी गांव/मुहल्ला धडोग, शहर चम्बा, परगना पंजला, तहसील व जिला चम्बा (हि0प्र0)।

बनाम

साधारण आम जनता

विषय.—कागजात माल में प्रार्थी का नाम दुरुस्त करने बारा।

प्रार्थी विश्वाजीत पुत्र पृथीचंद, निवासी गांव/मुहल्ला धडोग, शहर चम्बा, परगना पंजला, तहसील व जिला चम्बा (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में आवेदन किया है कि नकल आधार कार्ड, नकल राशन कार्ड Department of Food civil Supplies & Consumer Affairs Govt. of H.P. द्वारा जारी राशन कार्ड संख्या HP-20143-20869 में उनका नाम विश्वाजीत दर्ज है जोकि सही व दुरुस्त है परन्तु तहसील चम्बा के मुहाल चम्बा शहर-II के राजस्व अभिलेख में उसका नाम विश्वामित्र दर्ज कागजात माल है, जोकि गलत है तथा प्रार्थना की है कि उसका नाम तहसील चम्बा के पटवार सर्कल चम्बा शहर- II के राजस्व अभिलेख में विश्वामित्र की बजाये विश्वाजीत दुरुस्त करने के आदेश पारित करें।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि विश्वामित्र के नाम को विश्वाजीत दुरुस्त करने बारा आम जनता को कोई आपत्ति हो तो वह इस इशतहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूत में प्रार्थी के नाम को दुरुस्त करने के आदेश पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 19-08-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार,  
सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा,  
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नम्बर : तहसील/रीडर/2024-387

तारीख पेशी : 30-09-2024

श्रीमती लता उर्फ ललिता देवी पुत्री जसवन्त सिंह पुत्र नानकु, निवासी गांव बाहरेई, परगना साहो, तहसील व जिला चम्बा (हि0प्र0)।

बनाम

साधारण आम जनता

विषय.—कागजात माल में प्रार्थी का नाम दुरुस्त करने बारा।

प्रार्थिया श्रीमती लता उर्फ ललिता देवी पुत्री जसवन्त सिंह पुत्र नानकु, निवासी गांव बाहरेई, परगना साहो, तहसील व जिला चम्बा (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में आवेदन किया है कि उसका नाम उसके आधार कार्ड व नकल परिवार रजिस्टर ग्राम पंचायत प्रोथा, विकास खंड चम्बा में लता उर्फ ललिता देवी दर्ज है जोकि सही व दुरुस्त है परन्तु तहसील चम्बा के पटवार सर्कल साहो के मुहाल प्रोथा के राजस्व अभिलेख में उसका नाम लता दर्ज कागजात माल है, जोकि गलत है तथा प्रार्थना की है कि उसका नाम तहसील चम्बा के पटवार सर्कल साहो के मुहाल प्रोथा के राजस्व अभिलेख में लता की बजाये लता उर्फ ललिता देवी दुरुस्त करने के आदेश पारित करें।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि लता के नाम को लता उर्फ ललिता देवी दुरुस्त करने बारा आम जनता को कोई आपत्ति हो तो वह इस इशतहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थिया के नाम को दुरुस्त करने के आदेश पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 29-08-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुए हैं।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं तहसीलदार,  
सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी,  
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

विरेन्द्र कुमार पुत्र श्री चुनी लाल, गांव गली, डा0 सिढकुण्ड, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0)  
वादी।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत सिढकुण्ड, विकास खण्ड चम्बा प्रतिवादी।

विषय.—जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) महोदय चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 39883/2024, दिनांक 05-09-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024/17006, दिनांक 05-09-2024, (2) शपथ पत्र आवेदक, (3) जन्म रिपोर्ट, (4) अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, (5) विद्यालय त्याग प्रमाण-पत्र, (6) आधार कार्ड, (7) राशन कार्ड जिसमें आवेदक विरेन्द्र कुमार पुत्र श्री चुनी लाल, गांव गली, डा0 सिढकुण्ड, ग्राम पंचायत सिढकुण्ड, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0) की जन्म तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणाम स्वरूप पंचायत जन्म पंजीकरण रजिस्टर में आवेदक विरेन्द्र कुमार पुत्र श्री चुनी लाल, गांव गली, डा0 सिढकुण्ड का नाम एवं जन्म तिथि दर्ज न हुआ है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ-पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण-पत्र जो दिनांक 05-09-2024 को जारी हुआ है, उसमें की है।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि विरेन्द्र कुमार पुत्र श्री चुनी लाल, गांव गली, डा0 सिढकुण्ड, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा की जन्म तिथि 18-02-1990 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत के सम्बन्धित अभिलेख

अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इशतहार) के जारी होने के एक माह के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदक विरेन्द्र कुमार पुत्र श्री चुनी लाल, गांव गली, डा0 सिढकुण्ड की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव सिढकुण्ड को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 06-09-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी,  
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

सरोज कुमारी पुत्री श्री चतर सिंह, गांव टाटरू, डा0 कोटी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0)  
वादिया।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत प्राहनवी, विकास खण्ड चम्बा प्रतिवादी।

विषय.—जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) महोदय चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 3603/2024, दिनांक 23-08-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024/15476, दिनांक 21-08-2024, (2) शपथ पत्र आवेदिक, (3) शपथ पत्र वाशिन्दगान देह, (4) जन्म रिपोर्ट, (5) अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, (6) आधार कार्ड, (7) रिपोर्ट ग्राम पंचायत सचिव, (8) परिवार रजिस्टर नकल जिसमें आवेदिका सरोज कुमारी पुत्री श्री चतर सिंह, गांव टाटरू, डा0 कोटी, ग्राम पंचायत प्राहनवी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0) की जन्म तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणाम स्वरूप पंचायत जन्म पंजीकरण रजिस्टर में सरोज कुमारी पुत्री श्री चतर सिंह, गांव टाटरू, डा0 कोटी का नाम एवं जन्म तिथि दर्ज न हुआ है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ-पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण-पत्र जो दिनांक 21-08-2024 को जारी हुआ है, उसमें की है।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि सरोज कुमारी पुत्री श्री चतर सिंह, गांव टाटरू, डा0 कोटी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा की जन्म तिथि 19-04-1973 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत के सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इशतहार) के जारी होने के एक माह के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदिका सरोज कुमारी पुत्री श्री चतर सिंह, गांव टाटरू, डा0 कोटी की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव प्राहनवी को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 23-08-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

**ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी,  
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश**

रेखा देवी पुत्री श्री शक्ति प्रसाद, गांव दुलाहर, डा0 कोटी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0)  
वादिया।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत प्राहनवी, विकास खण्ड चम्बा

प्रतिवादी।

विषय.—जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) महोदय चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 3634/2024, दिनांक 24-08-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024/15004, दिनांक 16-08-2024, (2) शपथ पत्र आवेदिक, (3) शपथ पत्र वाशिन्दगान देह, (4) जन्म रिपोर्ट, (5) अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, (6) आधार कार्ड, (7) राशन कार्ड, (8) परिवार रजिस्टर नकल जिसमें आवेदिका रेखा देवी पुत्री श्री शक्ति प्रसाद, गांव दुलाहर, डा0 कोटी, ग्राम पंचायत प्राहनवी, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0) की जन्म तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणाम स्वरूप पंचायत जन्म पंजीकरण रजिस्टर में रेखा देवी पुत्री श्री शक्ति प्रसाद, गांव दुलाहर, डा0 कोटी का नाम एवं जन्म तिथि दर्ज न हुआ है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ-पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण-पत्र जो दिनांक 16-08-2024 को जारी हुआ है, उसमें की है।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि रेखा देवी पुत्री श्री शक्ति प्रसाद, गांव दुलाहर, डा0 कोटी उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा की जन्म तिथि 03-11-1980 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत के सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के जारी होने के एक माह के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदिका रेखा देवी पुत्री श्री शक्ति प्रसाद, गांव दुलाहर, डा0 कोटी की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव प्राहनवी को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 24-08-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।



ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी,  
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

अजय कुमार पुत्र श्री हंस राज, गांव जजर, डा0 सिढकुण्ड, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0)  
वादी।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत सिढकुण्ड, विकास खण्ड चम्बा प्रतिवादी।

विषय.—जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) महोदय चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 3503/2024, दिनांक 08-08-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024/13116, दिनांक 12-07-2024, (2) शपथ पत्र आवेदक, (3) जन्म रिपोर्ट, (4) अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, (5) विद्यालय त्याग प्रमाण-पत्र, (6) आधार कार्ड जिसमें आवेदक अजय कुमार पुत्र श्री हंस राज, गांव जजर, डा0 सिढकुण्ड, ग्राम पंचायत सिढकुण्ड, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0) की जन्म तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणाम स्वरूप पंचायत जन्म पंजीकरण रजिस्टर में आवेदक अजय कुमार पुत्र श्री हंस राज, गांव जजर, डा0 सिढकुण्ड का नाम एवं जन्म तिथि दर्ज न हुआ है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ-पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण-पत्र जो दिनांक 12-07-2024 को जारी हुआ है, उसमें की है।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि अजय कुमार पुत्र श्री हंस राज, गांव जजर, डा0 सिढकुण्ड, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा की जन्म तिथि 20-10-1980 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत के सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के जारी होने के एक माह के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदक अजय कुमार पुत्र श्री हंस राज, गांव जजर, डा0 सिढकुण्ड की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव सिढकुण्ड को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 27-08-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील पुखरी,  
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 56/2024 ना0 ता0 वाचक उप0 तह0 पुखरी/2024/

तारीख दायर : 06-09-2024

पवन कुमार पुत्र श्री नर सिंह, गांव व परगना राजनगर, जिला चम्बा (हि0प्र0) वादी।

बनाम

आम जनता प्रतिवादी।

विषय.—राजस्व कागजात माल में नाम दुरुस्ती करने बारे प्रार्थना-पत्र।

पवन कुमार पुत्र श्री नर सिंह, गांव व परगना राजनगर, उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0) ने एक आवेदन पत्र व ब्यान हल्फी पेश किया है कि मेरा नाम परिवार रजिस्टर नकल, राशन कार्ड, आधार कार्ड में पवन कुमार पुत्र श्री नर सिंह दर्ज है जो बिल्कुल सही व दुरुस्त है परन्तु राजस्व अभिलेख मुहाल व पटवार वृत्त राजनगर, उप-तहसील पुखरी में मेरा नाम पवन पुत्र श्री नर सिंह दर्ज है जोकि गलत है।

अतः प्रार्थी का ब्यान हल्फी स्वीकार करते हुए इस इशतहार/मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी के नाम का इन्द्राज करने बारे किसी प्रकार का कोई उजर एवं एतराज हो तो असालतन व वकालतन इस इशतहार के प्रकाशन की तिथि उपरान्त एक माह के भीतर अपना उजर एवं एतराज पेश कर सकते हैं बाद तारीख किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जाएगा व उक्त प्रार्थी का नमा पवन पुत्र श्री नर सिंह की जगह पवन कुमार पुत्र श्री नर सिंह दर्ज करने के आदेश पटवारी पटवार वृत्त राजनगर को पारित कर दिए जायेंगे।

यह इशतहार हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 06-09-2024 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
उप-तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला,  
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

Asha Kumari d/o Late Gurdhiyan, r/o V.P.O. Sudher, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).

Versus

1. The General Public.

2. Commissioner-cum-Registrar, Births and Deaths, MCD Dharamshala.

विषय.—प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

Asha Kumari d/o Late Gurdhiyan, r/o V.P.O. Sudher, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके Father Gurdhiyan s/o Rasala की जन्म/मृत्यु तिथि 01-06-1974 है परन्तु MCD Dharamshala/ग्राम पंचायत में जन्म/मृत्यु पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Gurdhiyan की जन्म/मृत्यु पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 23-10-2024 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म/मृत्यु तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 23-09-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला,  
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

Sajan Kumar s/o Harbans Lal, r/o Ward No. 1, Village Ghana, P.O. Bagli, Tehsil  
Dharamshala, District Kangra (H.P.).

Versus

1. The General Public.

2. Commissioner-cum-Registrar, Births and Deaths, MCD Dharamshala.

विषय.—प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

Sajan Kumar s/o Harbans Lal, r/o Ward No. 1, Village Ghana, P.O. Bagli, Tehsil  
Dharamshala, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि  
उसकी self Sajan Kumar s/o Harbans Lal की जन्म तिथि 09-01-1999 है परन्तु MCD  
Dharamshala/ग्राम पंचायत में जन्म/मृत्यु पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये  
जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि  
किसी को उपरोक्त Tenzin Wnagyal की जन्म/मृत्यु पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना  
एतराज हमारी अदालत में दिनांक 23-10-2024 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है  
अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म/मृत्यु तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 05-10-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री अजय शर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील रे,  
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

केस नं0 : 01/जन्म रजि./2024

तारीख पेशी : 24-10-2024

श्रीमती रूप रानी पुत्री श्री आत्मा राम, गांव धौलपुर, डा0 टटवाली, उप-तहसील रे, जिला कांगड़ा  
(हि0प्र0) प्रार्थिया।

## बनाम

आम जनता

फरीकदोयम।

प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत टटवाली में जन्म पंजीकरण रजिस्टर करने बारे।

श्रीमती रूप रानी पुत्री श्री आत्मा राम, गांव धौलपुर, डा0 टटवाली, उप—तहसील रे, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने अदालत हजा में एक प्रार्थना—पत्र ग्राम पंचायत टटवाली के जन्म रजिस्टर में जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के तहत अपनी जन्म तिथि दर्ज करने बारे गुजारा है। प्रार्थिया ने निवेदन किया है कि उसका जन्म दिनांक 01-01-1973 को हुआ है परन्तु ग्राम पंचायत टटवाली के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में जन्म तिथि नियमानुसार समय पर पंजीकृत नहीं करवाई गई है। इसलिए अब ग्राम पंचायत टटवाली को पंजीकरण करने के आदेश दिए जायें।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थिया के नाम पंजीकरण करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 24-10-2024 को प्रातः 10.00 बजे असालतन व वकालतन हाजिर होकर अपना उजर व उतराज लिखित रूप में पेश करे। अन्यथा प्रार्थिया का नाम पंजीकृत करने बारे आदेश पारित का दिया जायेंगे। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक ..... को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,  
उप—तहसील रे, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री अजय शर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप—तहसील रे,  
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

केस नं0 : 02/जन्म एवं मृत्यु/2024

तारीख पेशी : 24-10-2024

श्री चमन लाल पुत्र रणिया राम, गांव भटोली समियालां, डा0 दियाणा, उप—तहसील रे, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) प्रार्थी।

## बनाम

आम जनता

फरीकदोयम।

प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत दियाणा में मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर करने बारे।

श्री चमन लाल पुत्र रणिया राम, गांव भटोली समियालां, डा0 दियाणा, उप—तहसील रे, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने अदालत हजा में एक प्रार्थना—पत्र बाबत ग्राम पंचायत दियाणा के जन्म रजिस्टर में जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के तहत अपनी माता श्रीमती रतनी देवी विधवा रणिया राम की मृत्यु तिथि दर्ज करने बारे गुजारा है। प्रार्थी ने निवेदन किया है कि उसकी माता की मृत्यु दिनांक 17-09-2012 को हुई है परन्तु ग्राम पंचायत दियाणा के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में मृत्यु तिथि नियमानुसार समय पर पंजीकृत नहीं करवाई गई है। इसलिए अब ग्राम पंचायत दियाणा को मृत्यु पंजीकरण करने के आदेश दिए जायें।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी उक्त की माता की मृत्यु पंजीकरण करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 24-10-2024 को प्रातः 10.00 बजे असालतन व वकालतन हाजिर होकर अपना उजर व एतराज लिखित रूप में पेश करे। अन्यथा प्रार्थी की माता की मृत्यु पंजीकृत करने बारे आदेश पारित का दिया जायेंगे। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक ..... को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,  
उप-तहसील रे, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

**ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, चढ़ियार  
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)**

मुकद्दमा संख्या : 22/BDR/2024

किस्म मुकद्दमा : जन्म/मृत्यु पंजीकरण

श्री भीम सिंह राणा पुत्र गीगा राम, निवासी दरुग, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थी।

श्री भीम सिंह राणा पुत्र गीगा राम, निवासी दरुग, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उसके भाई श्री जय सिंह राणा पुत्र गीगा राम की मृत्यु दिनांक 16-03-2004 को महाल दरुग, उप-तहसील चढ़ियार में हुई थी। परन्तु अज्ञानतावश उस समय ग्राम पंचायत दरुग में मृत्यु पंजीकरण नहीं करवाया जा सका है व अनुरोध किया कि उपरोक्त मृत्यु पंजीकरण स्थानीय पंचायत में करवाया जावे।

अतः आम जनता को इस राजपत्र इशतहार/मुश्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 24-10-2024 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष रख सकते हैं अन्यथा उपरोक्त जन्म/मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिलेगौर न होगा।

आज दिनांक 19-09-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,  
चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

**ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)**

मुकद्दमा संख्या : 19/C/2024

किस्म मुकद्दमा : दुरुस्ती इन्द्राज

श्री शालिंदर राणा पुत्र मोहन लाल, निवासी महाल दरुग, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थी।

श्री शालिंदर राणा पुत्र मोहन लाल, निवासी महाल दरुग, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस कार्यालय/न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उनके पिता का नाम अनुसार प्रधान रिपोर्ट व मृत्यु प्रमाण-पत्र में मोहन लाल दर्ज है जो कि सही है। परन्तु राजस्व अभिलेख महाल दरुग में उसके पिता का नाम चुहड़ सिंह दर्ज है जोकि गलत है। अतः आवेदक अपने पिता का नाम राजस्व अभिलेख महाल दरुग में दुरुस्त करके मोहन लाल करवाना चाहता है।

अतः आम जनता को इस राजपत्र इशतहार/मुश्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 24-10-2024 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष रख सकते हैं। गैरहाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यावाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 19-09-2024 को अधोहस्ताक्षरी के हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,  
चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, चढ़ियार  
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा संख्या : 23/BDR/2024

किस्म मुकद्दमा : जन्म/मृत्यु पंजीकरण

श्रीमती लता देवी पुत्री रूमी राम, निवासी ननवार व पत्नी मिलाप चंद, निवासी महाल धाबी दबला, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थी।

श्रीमती लता देवी पुत्री रूमी राम, निवासी ननवार व पत्नी मिलाप चंद, निवासी महाल धाबी दबला, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि मेरा जन्म दिनांक 20-10-1972 को महाल ननवार, उप-तहसील चढ़ियार में हुआ था। परन्तु अज्ञानतावश उस समय ग्राम पंचायत ननवार में जन्म पंजीकरण नहीं करवाया जा सका है व अनुरोध किया कि इनका पंजीकरण स्थानीय पंचायत में करवाया जावे।

अतः आम जनता को इस राजपत्र इशतहार/मुश्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 24-10-2024 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष रख सकते हैं अन्यथा उपरोक्त जन्म/मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिलेगौर न होगा।

आज दिनांक 12-09-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,  
चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

**ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)**

मुकद्दमा संख्या : 22/C/2024

किस्म मुकद्दमा : दुरुस्ती इन्द्राज

श्री अशोक कुमार राणा पुत्र रोशन लाल, निवासी महाल ढण्डोल, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थी।

श्री अशोक कुमार राणा पुत्र रोशन लाल, निवासी महाल ढण्डोल, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस कार्यालय/न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उसका नाम अनुसार स्कूल प्रमाण-पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड में अशोक कुमार राणा दर्ज है जो कि सही है। परन्तु राजस्व अभिलेख महाल ढण्डोल में उसका नाम अशोक कुमार दर्ज है जोकि गलत है। अतः आवेदक अपना नाम राजस्व अभिलेख महाल ढण्डोल में दुरुस्त करके अशोक कुमार राणा करवाना चाहता है।

अतः आम जनता को इस राजपत्र इशतहार/मुश्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 24-10-2024 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असागतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष रख सकते हैं। गैरहाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यावाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 24-09-2024 को अधोहस्ताक्षरी के हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,  
चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

**ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)**

सिकंदरा देवी पत्नी रवि कुमार, गांव व डा0 संसाल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता ग्राम पंचायत संसाल

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण बारे।

सिकंदरा देवी पत्नी रवि कुमार, गांव व डा0 संसाल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय के साथ गुजारा है कि उसके बेटे का जन्म दिनांक 21-03-2008 को ग्राम पंचायत संसाल में हुआ था जो कि सम्बन्धित पंचायत संसाल के रिकार्ड में पंजीकृत न है।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण जनता व हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उक्त पंजीकरण के दर्ज करने बारे किसी भी व्यक्ति को कोई भी आपत्ति हो तो वह दिनांक 24-10-2024 या इससे पूर्व अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपनी आपत्ति दर्ज कर सकता है। इसके पश्चात् कोई भी एतराज काबिले समायत नहीं होगा तथा आवेदन-पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 13-09-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,  
तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं० : 64/2024

तारीख मजरूआ : 24-09-2024

आगामी पेशी : 24-10-2024

श्री लूदर चन्द पुत्र स्व० श्री हुन्दर चन्द पुत्र जगत राम, निवासी गांव व डा० ब्रैहिन, तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि०प्र०) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

विषय.—पंचायत रिकार्ड में मृत्यु तिथि दर्ज करने बारे।

श्री लूदर चन्द पुत्र स्व० श्री हुन्दर चन्द पुत्र जगत राम, निवासी गांव व डा० ब्रैहिन, तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि०प्र०) ने प्रार्थना-पत्र इस न्यायालय में इस आशय से प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी के पिता स्व० श्री हुन्दर चन्द पुत्र जगत राम की मृत्यु दिनांक 15-03-1954 को हो चुकी है। प्रार्थी के अन्य सदस्य भी श्री हुन्दर चन्द पुत्र जगत राम की मृत्यु तिथि को ग्राम पंचायत भलाण-II के रिकार्ड में गलती से दर्ज नहीं करवा सके। अब प्रार्थी अपने पिता स्व० श्री हुन्दर चन्द की मृत्यु तिथि पंचायत रिकार्ड भलाण-II में दर्ज करवाना चाहता है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना-पत्र के समर्थन में आधार प्रति, शपथ-पत्र साथ संलग्न प्रस्तुत कर रखा है।

अतः आम जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति आम या खास को उपरोक्त मृत्यु तिथि दर्ज करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह 24-10-2024 को असालतन या वकालतन प्रातः 11:00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में हाजिर होकर अपना एतराज लिखित या मौखिक पेश कर सकता है। बसूरत गैरहाजिरी में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 26-09-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि०प्र०)।



**ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश**

मिसल नं० : 63/2024

तारीख मजरूआ : 24-09-2024

आगामी पेशी : 24-10-2024

श्री लूदर चन्द पुत्र स्व० श्री हुन्दर चन्द पुत्र जगत राम, निवासी गांव व डा० ब्रैहिन, तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि०प्र०) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

विषय.—पंचायत रिकार्ड में मृत्यु तिथि दर्ज करने बारे।

श्री लूदर चन्द पुत्र स्व० श्री हुन्दर चन्द पुत्र जगत राम, निवासी गांव व डा० ब्रैहिन, तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि०प्र०) ने प्रार्थना-पत्र इस न्यायालय में इस आशय से प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी के दादा स्व० श्री जगत राम पुत्र काहन चन्द की मृत्यु दिनांक 20-04-1959 को हो चुकी है। प्रार्थी के अन्य सदस्य भी श्री जगत राम पुत्र काहन चन्द की मृत्यु तिथि को ग्राम पंचायत भलाण-II के रिकार्ड में गलती से दर्ज नहीं करवा सके। अब प्रार्थी अपने दादा स्व० श्री जगत राम पुत्र काहन चन्द की मृत्यु तिथि पंचायत रिकार्ड भलाण-II में दर्ज करवाना चाहता है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना-पत्र के समर्थन में आधार प्रति, शपथ-पत्र साथ संलग्न प्रस्तुत कर रखा है।

अतः आम जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति आम या खास को उपरोक्त मृत्यु तिथि दर्ज करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह 24-10-2024 को असालतन या वकालतन प्रातः 11:00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में हाजिर होकर अपना एतराज लिखित या मौखिक पेश कर सकता है। बसूरत गैरहाजिरी में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 26-09-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि०प्र०)।

**ब अदालत श्री मदन लाल, नायब तहसीलदार/कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील ननखरी,  
जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश**

राम लाल पुत्र श्री निरम दास, निवासी छलाण, डा० व तहसील ननखरी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश। प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थी।

उनवान मुकद्दमा.—प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत ग्राम पंचायत करांगला के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में जन्म तिथि पंजीकृत करने बारे।

राम लाल पुत्र श्री निरम दास, निवासी छलाण, डा0 व तहसील ननखरी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में एक दरखास्त पेश कर गुजारिश की है कि प्रार्थी के बेटे की जन्म तिथि 03-01-2007 व नाम कार्तिक ग्राम पंचायत करांगला में दर्ज न है। इसलिए मैं अपने बेटे का ग्राम पंचायत करांगला के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में जन्म तिथि 03-01-2007 व नाम कार्तिक पंजीकृत करवाना चाहता हूँ। आवेदक ने शपथ पत्र, नकल परिवार ग्राम पंचायत प्रस्तुत कर अनुरोध किया है कि मेरे बेटे की जन्म तिथि व नाम को सम्बन्धित ग्राम पंचायत करांगला रिकार्ड में पंजीकरण किया जावे।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त जन्म के पंजीकरण सम्बन्धित ग्राम पंचायत करांगला के रिकार्ड में दर्ज करने बारा कोई एतराज हो तो दिनांक 23-10-2024 को सुबह 10.00 बजे अस्सालतन/वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक एतराज पेश करें अन्यथा उजर/एतराज पेश न होने की सूरत में यह समझा जाएगा कि उक्त जन्म के पंजीकरण बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा सम्बन्धित सचिव ग्राम पंचायत करांगला को जन्म तिथि पंजीकरण करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 28-09-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
नायब तहसीलदार/कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
तहसील ननखरी, जिला शिमला (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री मदन लाल, नायब तहसीलदार/कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील ननखरी,  
जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

ब्रेस्तु राम पुत्र श्री जिउं नाथ, निवासी बजेटली, डा0 सूरड, तहसील ननखरी, जिला शिमला,  
हिमाचल प्रदेश। प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थी।

उनवान मुकद्दमा.—प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत ग्राम पंचायत मझोली टिपर के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में जन्म तिथि पंजीकृत करने बारा।

ब्रेस्तु राम पुत्र श्री जिउं नाथ, निवासी बजेटली, डा0 सूरड, तहसील ननखरी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में एक दरखास्त पेश कर गुजारिश की है कि प्रार्थी की जन्म तिथि 08-09-1950 व नाम ब्रेस्तु राम ग्राम पंचायत मझोली टिपर में दर्ज न है। इसलिए मैं अपना नाम व जन्म तिथि 08-09-1950 को ग्राम पंचायत मझोली टिपर के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में पंजीकृत करवाना चाहता हूँ। आवेदक ने शपथ पत्र, नकल परिवार ग्राम पंचायत प्रस्तुत कर अनुरोध किया है कि मेरी जन्म तिथि व नाम को सम्बन्धित ग्राम मझोली टिपर के रिकार्ड में पंजीकरण किया जावे।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त जन्म के पंजीकरण सम्बन्धित ग्राम पंचायत मझोली टिपर के रिकार्ड में दर्ज करने बारा कोई एतराज हो तो दिनांक 28-10-2024 को सुबह 10.00 बजे अस्सालतन/वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक एतराज पेश करें अन्यथा उजर/एतराज पेश न होने की सूरत में यह समझा जाएगा कि उक्त जन्म के पंजीकरण बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा सम्बन्धित सचिव ग्राम पंचायत मझोली टिपर को जन्म तिथि पंजीकरण करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 28-09-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
नायब तहसीलदार / कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
तहसील ननखरी, जिला शिमला (हि0प्र0)।

**ब अदालत श्री प्रेम सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी, सराहन, जिला शिमला (हि0प्र0)**

नं0 मुकद्दमा : 108 / 2023

तारीख दायर : 24-08-2024

अगली सुनवाई : 25-10-2024

श्री दारा सिंह पुत्र श्री रूप दास, निवासी गांव धौआ, डा0 किन्नू, उप-तहसील सराहन, जिला शिमला (हि0प्र0) वादी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.—प्रार्थना-पत्र बाबत ग्राम पंचायत अभिलेख किन्नू में जन्म तिथि पंजीकरण बारे।

श्री दारा सिंह पुत्र श्री रूप दास, निवासी गांव धौआ, डा0 किन्नू, उप-तहसील सराहन, जिला शिमला (हि0प्र0) ने इस कार्यालय में अपने बच्चे की जन्म तिथि पंजीकरण बारे व उनके नाम परिवार रजिस्टर ग्राम पंचायत किन्नू में दर्ज करवाने बारे आवेदन पत्र व ब्यान हल्फी दिया है। प्रार्थी ने आवेदन किया है कि अज्ञानतावश अपने पुत्री का पंजीकरण पंचायत अभिलेख किन्नू में दर्ज न कर सका है जिसकी जन्म तिथि निम्न है :-

क्रम सं0	सदस्य का नाम	सम्बन्ध	तारीख जन्म
1.	संजना	पुत्री	01-04-2011

अतः आम जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत अभिलेख में प्रार्थी की पुत्री की जन्म तिथि पंजीकरण करने बारे किसी भी व्यक्ति का किसी भी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 25-10-2024 को प्रातः 11.00 बजे असागतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 19-09-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
सराहन, जिला शिमला (हि0प्र0)।

**ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0)**

मुकद्दमा नं0 : 56 IX / 2019

तारीख मरजुआ : 22-07-2019

तारीख पेशी : 23-10-2024

1. श्रीमती नीना देवी पुत्री राजेन्दर सिंह, निवासी गांव जोटलू, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0) आदि प्रार्थिया।

**बनाम**

1. उपेन्द्र, 2. मनोहर लाल, 3. दलीप सिंह, 4. शकुन्तला, 5. राजकुमार उर्फ राज कपुर, सभी पुत्र/पुत्रियां ध्यान सिंह, गांव जोटलू, तहसील शिमला, जिला शिमला (हि0प्र0), 6. सुरजीत सिंह व 7. चंद्र सिंह, दोनों पुत्र रूप सिंह, 8. अशोक कुमार पुत्र राजेन्दर, 9. सेवा चंद्र पुत्र सदापुर, 10. श्रीमती लीला वती, 11. श्रीमती किमा वती, 12. श्रीमती पुनम, 13. उरषान डोलमा, सभी पुत्रियां/पत्नी वामगचु, 14. श्रीमती संगीता पत्नी टेक सिंह, 15. शान सेन, 16. ठाकुर सिंह, 17. कोनेओ नजमल सभी पुत्रगण नमजा थीमना, 18. छेरिंग दोरजे, 19. जतन सेन, 20. नेपाल सिंह सभी पुत्रगण चीवा राम, 21. श्रीमती शशी, 22. श्रीमती सुनीता दोनो पुत्रियां सुंदर देवी, 23. श्रीमती संनीता पत्नी अशवनी, उपरोक्त सभी प्रतिवादीगण निवासी गांव जोटलू, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0) के वासी है। प्रतिवादीगण।

श्रीमती नीना देवी पुत्री राजेन्दर सिंह, निवासी गांव जोटलू, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र बराये जेर धारा 123 के अन्तर्गत भू-विभाजन हेतु अराजी खाता/खतौनी नं0 32/52, कित्ता 4, रकबा 01-31-98 हैक्ट., वाका महाल जोटलू, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0) बारे प्रस्तुत किया है। कई बार इस अदालत द्वारा समन जारी किये गये परन्तु प्रतिवादीगण के मौका पर न मिलने व रिपोर्ट तामील कुनिंदा के कारण तामील न हो सकी। जिससे यह प्रतीत होता है कि प्रतिवादीगण जानबूझ के उपरोक्त मुकद्दमा में पेश न हो रहे हैं।

अतः अदालत को विश्वास हो चुका है कि उपरोक्त प्रतिवादी नं0 1 ता 23 की तामील साधारण तरीके से होना मुश्किल है। अतः इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त मुकद्दमा भू-विभाजन बारे कोई उजर व एतराज हो तो स्वयं व लिखित तौर पर दिनांक 23-10-2024 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर अदालत कोर्ट परिसर चक्कर में आकर अपना एतराज पेश करें अन्यथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज तारीख 05-10-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,  
शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

**ब अदालत श्री प्रेम सिंह, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सराहन, जिला शिमला (हि0प्र0)**

नं0 मुकद्दमा : 99 / 2024

तारीख दायर : 24-02-2020

अगली सुनवाई : 28-10-2024

श्री सुख दास पुत्र श्री खोई राम, निवासी गांव व डा0 किन्नु, उप-तहसील सराहन, जिला शिमला (हि0प्र0) प्रार्थी।

**बनाम**

1. श्री इन्द्र सैन पुत्र स्व० श्री डुमणू निवासी गांव व डा० किन्नु, उप-तहसील सराहन, जिला शिमला (हि०प्र०), 2. श्री मदन लाल पुत्र स्व० श्री डुमणू निवासी गांव व डा० किन्नु, उप-तहसील सराहन, जिला शिमला (हि०प्र०), 3. श्री शेर सिंह पुत्र स्व० श्री डुमणू निवासी गांव व डा० किन्नु, उप-तहसील सराहन, जिला शिमला (हि०प्र०), 4. श्रीमती कौला देवी पुत्री स्व० श्री डुमणू निवासी गांव व डा० किन्नु, उप-तहसील सराहन, जिला शिमला (हि०प्र०) हालाबाद पत्नी श्री गोकल राम, निवासी गांव मझगांव, डा० शाहधार, उप-तहसील सराहन, जिला शिमला (हि०प्र०), 5. श्रीमती सैलु देवी पुत्री स्व० श्री डुमणू निवासी गांव व डा० किन्नु, उप-तहसील सराहन, जिला शिमला (हि०प्र०) हालाबाद पत्नी श्री राकेश कुमार, निवासी गांव व डा० डकोलर, डा० शिंगला, तहसील रामपुर, जिला शिमला (हि०प्र०), 6. श्रीमती तुमनी देवी विधवा स्व० श्री डुमणू निवासी गांव व डा० किन्नु, उप-तहसील सराहन, जिला शिमला (हि०प्र०), 7. श्रीमती बालू पुत्री स्व० श्री शुकरू, निवासी गांव व डा० किन्नु, उप-तहसील सराहन, जिला शिमला (हि०प्र०) हालाबाद पत्नी स्व० श्री शोई राम, निवासी गांव कन्नै, डा० बौण्डा, उप-तहसील सराहन, जिला शिमला (हि०प्र०), 8. श्रीमती चेंखी पुत्री स्व० श्री शुकरू, निवासी गांव व डा० किन्नु, उप-तहसील सराहन, जिला शिमला (हि०प्र०) हालाबाद पत्नी श्री डुमणू निवासी गांव व डा० मझेवली, तहसील रामपुर बुशहर, जिला शिमला (हि०प्र०)। प्रतिवादी।

दरखास्त दुरुस्ती अराजी खाता/खतौनी नं० 89/201, खसरा नं० 1580/1129, रकबा तादादी 00-78-98 है०, वाका चक किन्नु उप-तहसील सराहन, जिला शिमला (हि०प्र०)।

नोटिस बनाम आम जनता।

दरखास्त कब्जा दुरुस्ती कागजात माल हमारे समक्ष प्रार्थी श्री सुख दास पुत्र श्री खोई राम, निवासी गांव व डा० किन्नु, उप-तहसील सराहन, जिला शिमला (हि०प्र०) ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि अराजी खाता/खतौनी नं० 89/201, खसरा नं० 1580/1129, रकबा तादादी 00-78-98 है० मौजा किन्नु में रकबा 00-03-04 है० भूमि वादी ने श्रीमती तुमनी विधवा स्व० श्री डूमणू निवासी गांव व डा० किन्नु प्रतिवादी क्रम सं० 6 पेशानी दरखास्त हजा से वर्ष 1985 से हासल कर रखी है जिस पर वादी का कब्जा वर्ष 1985 से ही बिना किसी रोक-टोक के चला आ रहा है। उक्त रकबा में से करीब 00-01-52 है० पर पक्का मकान तामीर किया हुआ है तथा बाकी बची भूमि पर मुफाद फसल आलु आदि का सेता आ रहा है। यह कि जितनी भूमि वादी के कब्जे में मौका पर है उतने रकबा का ततीमा मौका पर काटकर राजस्व अभिलेख में दुरुस्त करवा कर श्री सुख दास पुत्र श्री खोई राम का कब्जा दर्ज इन्द्राज करवाना चाहता है।

अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि राजस्व अभिलेख में श्री सुख दास पुत्र श्री खोई राम का कब्जा दुरुस्त/दर्ज करने बारे किसी भी व्यक्ति का किसी भी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 28-10-2024 को प्रातः 11.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 11-09-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,  
सराहन, जिला शिमला (हि०प्र०)।

**In the Court of Sh. Chand Ram Kashyap, Executive Magistrate-cum-Naib Tehsildar,  
Shimla (Rural), District Shimla (H. P.)**

Smt. Kalavati d/o Late Sh. Daultiya, r/o Village Seon, Post Office Durgapur, Tehsil Shimla (Rural), Distt. Shimla (H.P.).

*Versus*

General Public

. . Respondent.

Whereas, Smt. Kalavati d/o Late Sh. Daultiya, r/o Village Seon, Post Office Durgapur, Tehsil Shimla (Rural), Distt. Shimla (H.P.) has filed an application alongwith affidavit in the court of undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 to enter the date of birth of herself namely Smt. Kalavati d/o Late Sh. Daultiya, r/o Village Seon, Post Office Durgapur, Tehsil Shimla (Rural), Distt. Shimla (H.P.) in the records of Secretary-cum-Registrar, Birth and Death, Gram Panchayat Baldeyan, Tehsil Shimla (Rural) (H.P.):—

Sl. No.	Name of the family member	Relation	Date of Birth
1.	Kalavati	Self	10-02-1964

Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding date of birth of above named in the records of Secretary-cum-Registrar Gram Panchayat Baldeyan, Tehsil Shimla (Rural), Distt. Shimla may file their claims/objections on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette in this court, failing which necessary orders will be passed.

Issued today on 22-10-2024 under my signature and seal of the court.

Seal.

Sd/-

Executive Magistrate-cum-Naib Tehsildar,  
Shimla(R), District Shimla (H.P.).

ब अदालत कार्यकारी उप-मण्डल दण्डाधिकारी एवं उप-मण्डलाधिकारी (ना०), राजगढ़,  
जिला सिरमौर (हि० प्र०)

श्री शैलेन्द्र शर्मा पुत्र स्व० श्री ओमप्रकाश, निवासी ग्राम व डा० शाय छबरोंन, तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर, हि० प्र० ।

बनाम

आम जनता

श्री शैलेन्द्र शर्मा पुत्र स्व० श्री ओमप्रकाश, निवासी ग्राम व डा० शाय छबरोंन, तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर, हि० प्र० ने अपनी पुत्री की अंक तालिका में माता के नाम को दुरुस्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की बेटी कु० सुर्याशी शर्मा की दसवीं की अंक तालिका में माता का नाम नीतू (Nitu) गलत दर्ज किया गया है जिस कारण उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रार्थी अपनी बेटी की अंक तालिका में माता का नाम दुरुस्त कर नीतू राज (Neetu Raj) करवाना चाहती है।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को कु० सुर्याशी शर्मा पुत्री शैलेन्द्र शर्मा की अंक तालिका में उसकी माता का नाम दुरुस्त करने में कोई एतराज हो तो इस इशतहार के प्रकाशन से 30 दिनों के भीतर किसी भी कार्य दिवस पर हमारे कार्यालय में असागतन या वकालतन हाजिर होकर एतराज प्रस्तुत करें। उक्त तारीख के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा तथा

सीबी0एस0ई0 बोर्ड द्वारा कु0 सुर्याशी शर्मा की अंक तालिका में उसकी माता का नाम दुरुस्त कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 10-11-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
कार्यकारी उप-मण्डल दण्डाधिकारी  
एवं उप-मण्डलाधिकारी (ना0),  
राजगढ़, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम/द्वितीय श्रेणी, तहसील पांवटा साहिब,  
जिला सिरमौर (हि0प्र0)

कैस नं0 : /2024

श्रीमती सरोज देवी पुत्री छतरुराम, निवासी पातलियों, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थिया श्रीमती सरोज देवी पुत्री छतरुराम, निवासी पातलियों, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का एक आवेदन पत्र द्वारा मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन के पत्र एचएफडब्ल्यू-एन/एसटी/बीएण्डडी/डिलेय कैसिस/2024-5063, दिनांक 16-09-2024 द्वारा अनुलग्न क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, दो गवाहन ब्यान हल्फी, आधार कार्ड, सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है जिसमें प्रार्थिया द्वारा प्रार्थना की है कि उसकी स्वयं की जन्म तिथि 23-03-1968 है, जिसका अज्ञानतावश प्रार्थिया की जन्म तिथि का ईन्द्राज ग्राम पंचायत पुरुवाला के जन्म अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सकी है। जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई भी उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 24-10-2024 को प्रातः 11.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी दिन कार्य दिवस में अदालत हजा स्थित पांवटा साहिब में असालतन या वकालतन हाजिर आकर उजर/एतराज दर्ज करा सकता है। निर्धारित तिथि या इसके पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में श्रीमती सरोज देवी पुत्री छतरुराम, निवासी पातलियों, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) के प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 24-09-2024 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
सहायक समाहर्ता प्रथम/द्वितीय श्रेणी,  
तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

**CHANGE OF NAME**

I, Komal Kumari w/o Sh. Sanjiv Kumar, r/o Village Jarer, P.O. Tour Khola, Teh. Sandhole, Distt. Mandi (H.P.) declare that I have changed my minor son's name from Ansukumar to Ansh Kumar for all purposes in future. Please note.

KOMAL KUMARI  
w/o Sh. Sanjiv Kumar,  
r/o Village Jarer, P.O. Tour Khola,  
Teh. Sandhole, Distt. Mandi (H.P.).

**CHANGE OF NAME**

I, Aparna w/o Mr. Jayant Pathak, r/o Pathak Niwas, M.L.S.M. College Road, Chatrokhari, Sundernagar, Distt. Mandi (H.P.) have changed my name to Aparna Pathak.

APARNA  
w/o Mr. Jayant Pathak,  
r/o Pathak Niwas, M.L.S.M. College Road,  
Chatrokhari, Sundernagar, Distt. Mandi (H.P.).

**CHANGE OF NAME**

I, Pooja Kumari d/o Sh. Sukh Dev Kaushal and w/o Mr. Rajinder Kumar, Village Fagog, P.O. Baloh, Tehsil Jhandutta, Distt. Bilaspur (H.P.) declare that in my father's army service records and other documents my father's name is Sukh Dev Kaushal while in the educational certificates my father's name is recorded as Sukh Dev. The name Sukhdev Kaushal and Sukh Dev should be considered the same. Please note.

POOJA KUMARI  
d/o Sh. Sukh Dev Kaushal and w/o Mr. Rajinder Kumar,  
Village Fagog, P.O. Baloh,  
Tehsil Jhandutta, Distt. Bilaspur (H.P.).



---

**CHANGE OF NAME**

I, Rajneesh Kumar Sharma s/o Madan Lal, r/o Village Kasba Kohasan, P.O. Bara, Tehsil Dehra, Distt. Kangra (H.P.) declare that in school certificate (10<sup>th</sup> class) of my son (Anikshay Upmanyu), my name is wrongly entered as Rajneesh Sharma instead of Rajneesh Kumar Sharma. Concerned please note.

RAJNEESH KUMAR SHARMA  
*s/o Madan Lal,  
r/o Village Kasba Kohasan, P.O. Bara,  
Tehsil Dehra, Distt. Kangra (H.P.).*

---

**CHANGE OF NAME**

I, Prithi Pal Sharma s/o Late Sh. Luder Ram Sharma, r/o Vill. Barkari, P.O. Rajot, Sub-Tehsil Panchrukhi, Distt. Kangra (H.P.) declare that in Bank of Baroda, my pension order No. 77247 (EC Number 35623) my name is wrongly entered as Prithi Paul instead of my correct name Prithi Pal Sharma. Concerned Note.

PRITHI PAL SHARMA  
*s/o Late Sh. Luder Ram Sharma,  
r/o Vill. Barkari, P.O. Rajot,  
Sub-Tehsil Panchrukhi, Distt. Kangra (H.P.).*

---

**CHANGE OF NAME**

Fuli Ram s/o Loharu Ram, VPO Padhar, Tehsil Padhar, Distt Mandi (H.P.) my minor daughter name Shalini Thakur wrongly entered in Adhaar No. 3268 0322 4798. Correct name is Ishani Thakur. Note please.

FULI RAM  
*s/o Loharu Ram,  
VPO Padhar, Tehsil Padhar,  
Distt Mandi (H.P.).*

**CHANGE OF NAME**

I, Vinod Kumar, r/o Vill. Baghni, P.O. Sidhbari, Teh. Dharamshala, Distt. Kangra (H.P.) declare that my correct name is Vinod Kumar instead of Vinod & my wife's name is Vandna Devi instead of Vandna in my daughter's Mahi Kapoor's school record.

VINOD KUMAR,  
*r/o Vill. Baghni, P.O. Sidhbari,  
Teh. Dharamshala, Distt. Kangra (H.P.).*